

**GOVERNMENT NAGARJUNA POST GRADUATE (AUTONOMOUS) COLLEGE OF SCIENCE
RAIPUR (C.G.)**

www.gcsrcg.org

Phone: 0771-2263131
Fax : 0771-2262838



NAAC Accredited 'B+ Grade'

**विवरण पत्रिका
(PROSPECTUS)**

Governed by
Department of Higher Education
Government of Chhattisgarh

Affiliated to
Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.)

अनुक्रमणिका

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्र.	क्र.	विवरण	पृष्ठ क्र.
	मिशन-विजन			(इ) पोस्ट ऑफिस	
	Over the Years			(प) केन्टीन	
०१.	पाठ्यक्रम एवं विषय संयोजन			(फ) सायकल स्टैण्ड	
०२.	प्रवेश मार्गदर्शक सिद्धांत		०६.	विभिन्न क्रिया-कलाप	
०३.	महाविद्यालय में प्रवेश नियम एवं उपनियम			(अ) छात्र संध	
०४.	विभिन्न शुल्क			(ब) एन.सी.सी.	
	(अ) प्रवेश शुल्क (अशासकीय)			(स) एन.एस.एस.	
	(ब) शिक्षण शुल्क (शासकीय)			(द) रेडक्रास	
	(स) छात्रावास शुल्क			(इ) विज्ञान क्लब	
	(द) परीक्षा शुल्क			(प) मार्गदर्शन प्रकोष्ठ	
	(इ) शुल्क संबंधी नियम			(फ) सामान्य ज्ञान क्लब	
	(प) शुल्क संबंधी रियायतें		१०.	महाविद्यालय परिवार	
०५.	अनुशासन			(अ) विद्या परिषद्	
०६.	छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति, पुरस्कार, मंडल, बीमा आदि			(ब) वित्त समिति	
०७.	शिक्षण विभाग			(स) तृतीयध्वतुर्थ वर्ग कर्मचारी	
०८.	उपलब्ध सुविधाएं -		११.	परिशिष्ट	
	(अ) छात्रावास			(अ) जनभागीदारी समिति	
	(ब) ग्रंथालय			(ब) प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी	
	(स) क्रीड़ा विभाग			(स) परीक्षा कैलेण्डर	
	(द) चिकित्सालय			(द) सांस्कृतिक कैलेण्डर	
				(इ) महत्वपूर्ण सूचनाएँ	

1. शिक्षण पाठ्यक्रम एवं विषय संयोजन

शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर विज्ञान में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के अध्यापन और अध्ययन की सुविधाओं से सम्पन्न है। इस महाविद्यालय में पी.एच.डी. (शोध उपाधि) से संबंधित कार्य भी संचालित है। महाविद्यालय का संचालन तथा वित्तीय परिक्षेत्र छत्तीसगढ़ शासन के अधीन है।

यह महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से स्वशासी महाविद्यालय (ऑटोनॉमस कॉलेज) के रूप में मान्य तथा सम्बद्धता प्राप्त है। इस महाविद्यालय को राज्य शासन द्वारा आदर्श महाविद्यालय के रूप में भी अनुमोदित किया गया है। महाविद्यालय का नवीन सत्र 2026-27, 16 जून 2026 को प्रातः 10.30 बजे से प्रारम्भ हो रहा है।

स्नातक पाठ्यक्रम (Under Graduate Course) (नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप)

बी.एस-सी. प्रथम सेमेस्टर (B.Sc. 1st Semester)

बी.एस-सी. प्रथम सेमेस्टर में निम्नलिखित विषयों में से विद्यार्थी एक विषय समूह का चयन कर सकता है, जिसमें उसे प्रवेश की अर्हता होगी।

क. विषय समूह (DSC-1, A,B,C)

उपलब्ध स्थान

01. गणित, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र
(Mathematics, Chemistry, Physics)
02. गणित, भौतिक शास्त्र-भू-गर्भ शास्त्र
(Mathematics, Physics, Geology)
03. गणित, भौतिक शास्त्र, रक्षा अध्ययन
(Mathematics, Physics, Defence Studies)
04. गणित, भौतिक शास्त्र सूचना प्रौद्योगिकी
(Mathematics, Physics, Information Technology)
05. गणित, भौतिक शास्त्र, वनस्पति शास्त्र
(Mathematics, Physics, Computer Science)
06. रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र
(Chemistry, Zoology, Botany)
07. रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, रक्षा-अध्ययन
(Chemistry, Botany, Geology)
08. रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, रक्षा-अध्ययन
(Chemistry, Botany, Defence Studies)
09. रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, सूक्ष्म जीव विज्ञान
(Chemistry, Botany, Microbiology)
10. रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, जैव प्रौद्योगिकी
(Chemistry, Botany, Bio-Technology)
11. रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, जैव रसायन
(Chemistry, Botany, Bio Chemistry)
12. रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, जैव-प्रौद्योगिकी
(Chemistry, Zoology, Bio-Technology)
13. रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, जैव-रसायन
(Chemistry, Botany, Bio (Chemistry))
14. रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र
(Chemistry, Zoology, Geology)

15. रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, रक्षा—अध्ययन
(Chemistry Zoology, Defence Studies)
16. बी.सी.ए. (समस्त निर्धारित विषय)

टीप—एक से अधिक विषय समूह में आवेदन करने हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र पृथक रूप से जमा करना होगा।

नई शिक्षा नीति 2020 की योजनानुसार प्रत्येक विद्यार्थी को बी.एस—सी. प्रथम सेमेस्टर में निम्नलिखित विवरणानुसार विषयों का चयन करना होगा।

1. DSC-01 : इसके अन्तर्गत ऊपर उल्लेखित क. 1 से 15 तक वर्णित विषय समूह में से किसी एक विषय समूह का चयन करना है। प्रत्येक विषय समूह में 3 मुख्य विषयों (DSC-A,B एवं C) को सम्मिलित किया गया है।)
2. GEC-01: महाविद्यालय में उपलब्ध विषयों (भूगोल, अर्थशास्त्र, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य में से कोई एक विषय का चयन करना है।
3. AEC-01 : प्रथम सेमेस्टर के लिए —अंग्रेजी
4. VAC-01: Pool से चयन करना। इसके अन्तर्गत सभी मुख्य विषयों के अन्तर्गत सूची में से विषय का चयन करना होगा।

बी.एस.—सी. द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम एवं अष्टम सेमेस्टर
(B.Sc., Sem II, III, IV, V, VI, VII & VIII)

स्नातक स्तर : अवधि 04 से 04 वर्ष NEP 2020 के प्रावधानों के अनुसार सम्पूर्ण स्नातक पाठ्यक्रम की रूपरेखा निम्नानुसार होगी —

प्रथम वर्ष (1st Year)	सेमेस्टर —I	20 क्रेडिट	40 क्रेडिट 04 क्रेडिट	सर्टिफिकेट 44 क्रेडिट
	सेमेस्टर —II	20 क्रेडिट		
द्वितीय वर्ष (2nd Year)	सेमेस्टर —III	20 क्रेडिट	40 क्रेडिट	84 क्रेडिट डिप्लोमा
	सेमेस्टर —IV	20 क्रेडिट		
तृतीय वर्ष (3rd Year)	सेमेस्टर —V	20 क्रेडिट	40 क्रेडिट	120 क्रेडिट डिग्री
	सेमेस्टर —VI	20 क्रेडिट		
चतुर्थ वर्ष (4th Year)	सेमेस्टर —VII	20 क्रेडिट	40 क्रेडिट	ऑनर्स (160 क्रेडिट) ऑनर्स विथ रिसर्च (164 क्रेडिट)
	सेमेस्टर —VIII	20 क्रेडिट		

टीप— उपरोक्त योजनानुसार विद्यार्थी के लिए 4 प्रावधान है।

1. एक वर्ष (सेमेस्टर 1 एवं 2) पूर्ण करने पर अध्ययन छोड़ने पर एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति उपरांत विद्यार्थी केवल प्रमाण पत्र का हकदार होगा।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (Post Graduate Course) (द्विवर्षीय)

एम.एस-सी. प्रथम सेमेस्टर (M.Sc. First Semester)

विद्यार्थी ने बी.एस-सी. परीक्षा जिन विषयों को लेकर उत्तीर्ण की है वह उन्हीं विषयों में से एक विषय में एम.एस-सी. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश पाने का पात्र है। रक्षा अध्ययन के लिए किन्हीं भी विषयों को लेकर बी.एस-सी. उत्तीर्ण विद्यार्थी के लिए पात्र होंगे। जैव प्रौद्योगिकी में जैव समूह के किसी भी विषय में उत्तीर्ण छात्र प्रवेश ले सकते हैं।

क्र.	विषय	उपलब्ध सीटें
4.01	जैव- प्रौद्योगिकी (Biotechnology)	15
4.02	वनस्पति-शास्त्र (Botany)	25
4.03	रसायन-शास्त्र (Chemistry)	25
4.04	रक्षा-अध्ययन (Defence Studies)	25
4.05	भूगर्भ शास्त्र (Geology)	25
4.06	गणित (Mathematics)	35
4.07	भौतिक-शास्त्र (Physics)	25
4.08	प्राणी शास्त्र (Zoology)	25
4.09	सूक्ष्म जीव विज्ञान (Micro Biology)	30
4.10	जैव रसायन (Bio Chemistry))	20
4.11	सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology)	30
4.12	कम्प्यूटर विज्ञान (Computer Science)	20

टीप- प्रत्येक विषय के लिए विषयवार पृथक् पृथक् आवेदन करना होगा।

स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत अध्ययन (Post Graduate Courses)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा जारी अध्यादेश क्रमांक 170 के अधीन स्नातकोत्तर कक्षाओं में सेमेस्टर प्रणाली लागू की गई है। यह अध्यादेश अवलोकनार्थ परीक्षा प्रकोष्ठ में उपलब्ध है।

सभी विषयों की स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययन कार्य सत्र 2006-2007 से सेमेस्टर पद्धति से किया जा रहा है। सेमेस्टर में सैद्धांतिक कक्षाओं के साथ प्रायोगिक कार्य कराया जाता है। विषय के अनुसार लैब कार्य, फील्ड वर्क, प्रोजेक्ट आदि कराया जाता है। सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक परीक्षाएं प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में ली जाती हैं। वर्तमान में स्नातकोत्तर कक्षा में परम्परागत मूल्यांकन पद्धति अपनायी जा रही है।

स्नातक स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के अध्यादेश क्रमांक 210 के अधीन लागू है। पॉयलट प्रोजेक्ट अध्यादेश क्र.197 के अधीन लागू है।

नोट : उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन के आदेशानुसार सत्र 2007-2008 से स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान के सभी विषयक अध्यापन अनिवार्यतः अंग्रेजी माध्यम से कराया जायेगा। परीक्षा का माध्यम विद्यार्थी हिन्दी या अंग्रेजी के रूप में चयन के लिए स्वतंत्र होंगे।

प्रिय छात्र –छात्राओं एवं सम्माननीय अभिभावकगण,

ज्ञान, विज्ञान और संस्कारों की त्रिवेणी

'विचारों के वर्षावन' में आपका हार्दिक अभिनंदन!

14 अगस्त 1948 में "योग: कर्मसु कौशलम्" (श्रीमद्भगवद्गीता) के आदर्श के साथ एक छोटे से बीज के रूप में रोपा गया शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर आज शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर के रूप में प्रगति का वटवृक्ष बन चुका है।

यह संस्थान केवल एक महाविद्यालय नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की शैक्षणिक पहचान है –प्रदेश के स्वशासी, आदर्श एवं अग्रणी महाविद्यालयों में ससम्मान परिगणित।

यहाँ विज्ञान संकाय की स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं में ज्ञान की निर्झरणी बहती है। स्नातक स्तर पर 15 विषय समूह एवं बी.सी.ए. और स्नातकोत्तर स्तर पर 12 विषय-विकल्पों का आकाश आपके सामने खुला है।

डी.सी.ए., बी.सी.ए., पी.जी.डी.सी.ए., बी.एस-सी. सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकैमिस्ट्री जैसे रोजगारोन्मुखी विषयों से हम युवा शक्ति को आत्मनिर्भरता के पंख दे रहे हैं।

युवा केवल एक आयु नहीं, बल्कि राष्ट्र की धड़कन है—सकारात्मक ऊर्जा का अक्षय स्रोत। हमारा संकल्प है इस ऊर्जा को ज्ञान की सही दिशा देना। हमारे लिए शिक्षा का अर्थ सूचनाओं का आदान-प्रदान मात्र नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपी प्रतिभा को तराशना, संभावनाओं को संभव बनाना और रचनात्मक व्यक्तित्व को संस्कारों से संवारना है।

यू.जी.सी. एवं छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन के मार्गदर्शन में हमारा महाविद्यालय परिवार भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की आधार तल से जुड़कर आधुनिक पीढ़ी को गुणवत्ता के शिखर तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।

हमारे विद्वान प्राध्यापक, समर्पित कर्मचारी एवम् जिज्ञासु विद्यार्थी मिलकर एक ऐसा जीवंत शैक्षणिक परिवेश रचते हैं जहाँ केवल डिग्रियाँ नहीं, व्यक्तित्व गढ़े जाते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से ज्ञानार्जन कर निकले हमारे विद्यार्थी समाज और राष्ट्र निर्माण में स्वर्णिम अध्याय जोड़ेंगे।

नवीन सत्र में प्रवेश करने वाले सभी छात्र-छात्राओं का हम मुक्त हृदय से स्वागत करते हैं। हम उन्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि इस परिसर की शैक्षणिक उत्कृष्टता और सांस्कृतिक विचार संपदा आपके व्यक्तित्व को नया तेज प्रदान करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति [NEP 2020] के बहुआयामी विशिष्टताओं को आत्मसात कर हम विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं।

आपका भविष्य उज्ज्वल संभावनाओं से पूरित हो! महाकवि सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' के शब्द आप सबको नई दिशा प्रदान करें—

"नव गति, नव लय, ताल—छंद नव,
नवल कंठ, नव जलद—मंद्रव
नव नभ के नव विहंग—वृंद को
नव पर, नव स्वर दे!
वर दे, वीणावादिनी वर दे!"

डॉ. अमिताभ बैनर्जी

प्राचार्य

शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर
विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर



प्राचार्य की कलम से....

प्रिय विद्यार्थियों एवं पालकगण,

सन् 1948 में स्थापित शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय रायपुर अपने प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर होता हुआ आज प्रदेश के प्रतिष्ठित स्वशासी आदर्श अग्रणीय शासकीय महाविद्यालयों में परिभाषित किया जाता है। इस महाविद्यालय में विज्ञान तथा कम्प्यूटर संकायों की स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाएं संचालित हैं।

इस महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर 16 विषय समूहों तथा 11 महत्वपूर्ण विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं संचालित है। रोजगारोन्मुखी विषयों जैसे डी.सी.ए., बी.सी.ए., पी.जी.डी.सी.ए., बी.एस.सी. (सूचना प्रौद्योगिकी समूह) बी.एस.एस. (कम्प्यूटर साईंस समूह) बी.एस.सी. (बॉयोटेक्नोलॉजी, माइक्रो बायलॉजी, बायो कैमिस्ट्री के अध्ययन-अध्यापन की सुविधा से युवा वर्ग लाभान्वित हो रहा है।

युवा वर्ग किसी भी राष्ट्र की सकारात्मक ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। हम युवा वर्ग की इस ऊर्जा को सही दिशा में नियोजित एवं रूपान्तरित करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। शिक्षा का कार्य विद्यार्थियों तक केवल सूचनाएं पहुंचाना भर नहीं है। वास्तविक शिक्षा विद्यार्थियों में निहित प्रतिभाओं, संभावनाओं और रचनात्मक व्यक्तित्व को उभारने, विकसित करने और संस्कारित करने का कार्य भी करती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य शासन की प्रेरणा व मार्गदर्शन से समस्त महाविद्यालय परिवार, जनभागीदारी समिति उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करते हुए भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों में अटूट विश्वास रखते हुए हम आधुनिक पीढ़ी को विश्व स्तरीय गुणवत्ता के अनुसार गढ़ने एवं निष्ठापूर्वक कार्य करने के लिए वचनबद्ध है।

महाविद्यालय में कार्यरत विद्वान प्राध्यापक, कर्मठ प्रशासनिक एवं तकनीकी स्टॉफ और लगनशील विद्यार्थी अपने सामूहिक क्रियाकलापों से महाविद्यालय में ऐसे स्वस्थ शैक्षणिक एवं शैक्षणोत्तर वातावरण का निर्माण करके विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास के लिए तत्पर रहते हैं। हमें विश्वास है कि हमारे विद्यार्थी इस संस्था से ज्ञानोपार्जन एवं व्यक्तित्व विकास करके समाज एवं राष्ट्र के निर्माण और विकास में अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान करेंगे।

प्रिय विद्यार्थियों हम नये सत्र में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि संस्था के समृद्ध शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक वातावरण से आपका सर्वांगीण विकास होगा तथा आपके व्यक्तित्व में निखार आयेगा। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पाठ्यक्रम को महाविद्यालय में लागू किया जा चुका है। हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं।

डॉ. अभिताभ बनर्जी
प्राचार्य

अनुक्रमणिका

क्र. विवरण	पृष्ठ क्र.	क्र. विवरण	पृष्ठ क्र.
मिशन - विजन Over The Years		(प) मार्गदर्शन प्रकोष्ठ	
01. पाठ्यक्रम एवं विषय संयोजन		(फ) सामान्य ज्ञान क्लब	
02. प्रवेश मार्गदर्शक सिद्धांत		10. महाविद्यालय परिवार	
03. महाविद्यालय में प्रवेश नियम एवं उपनियम		(अ) विद्या परिषद	
04. विभिन्न शुल्क		(ब) वित्त समिति	
(अ) प्रवेश शुल्क (अशासकीय)		(स) तृतीय/चतुर्थ वर्ग कर्मचारी	
(ब) शिक्षण शुल्क (शासकीय)		11. परिशिष्ट	
(स) छात्रावास शुल्क		(अ) जनभागीदारी समिति	
(द) परीक्षा शुल्क		(ब) प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी	
(इ) शुल्क संबंध नियम		(स) परीक्षा कैलेण्डर	
(प) शुल्क संबंधी रियायतें		(द) सांस्कृतिक कैलेण्डर	
05. अनुशासन		(इ) महत्वपूर्ण सूचनाएं	
06. छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति, पुरस्कार, मेडल, बीमा आदि			
07. शिक्षण विभाग			
08. उपलब्ध सुविधाएं-			
(अ) छात्रावास			
(ब) ग्रंथालय			
(स) क्रीड़ा विभाग			
(द) चिकित्सालय			
(इ) पोस्ट ऑफिस			
(प) केन्टीन			
(फ) सायकल स्टैंड			
09. विभिन्न क्रिया-कलाप			
(अ) छात्र संघ			
(ब) एन.सी.सी.			
(स) एन.एस.एस.			
(द) रेडक्रास			
(इ) विज्ञान क्लब			

Govt. Nagarjuna Post Graduate College of Science

VISION- The vision of Govt. Nagarjuna PG College of Science, Raipur is to be acknowledged in the state, in India and also internationally as a coveted destination for quality education and research; with multidimensional growth of Student education, scholarly output and constructive contribution to the community consistently meeting standards of excellence.

MISSION - The mission of the college is to assist in the preservation, creation, updation on, application and dissemination of knowledge by teaching, research and public service in comprehensive range of disciplines, there by serving the needs and enhancing the well-being of the citizens, in order of priority of Raipur District, the state of Chhatisgarh, India as whole and also the wider world community.

BROAD OBJECTIVE - The Broad Objective of this college is to prepare our students to meet the new challenges of a dynamically, rapidly changing society by helping them to acquire competitive abilities, like the attributes of a commitment to life-long learning ability in self-learning , analytic reasoning, multilingual skills (proficiency in Hindi as well as English) including IT skills and ethical behavior.

CORE VALUES

1. Unity and Integrity
2. Love and peace for every one
3. Mutual respect
4. Transparency
5. Teamwork and shared responsibility
6. Commitment to excellence for our state holders

GOALS-

1. To achieve the best possible standards in educational research and outreach programmes.
2. To promote academic programmes relevant to socio-economic need of the nation.
3. To promote networking with various centers/ departments and labs around the country.
4. To promote skill oriented programmes.
5. To enhance the quality of the learning and teaching process at UG and PG levels.
6. To bring forward the inherent talents to students and encourage creativity.
7. To develop awareness to words social and environmental problems.

Over The Years 1948-2016

The Govt. Science College has been a pioneer institution in the field of higher education ever since its inception in 1948. Its mission has been to provide students with quality education that enables them to compete successfully in the fast changing world arena. In 2010 the College has been conferred with the title of 'College with Potential For Excellence'. The institute was established with the mantra 'Yogah Karmasu Kaushalam' and has grown with it, and continues to make its mark as a unique institution under the special mission of social development and empowerment through education.

Initially the institution was set up near the old museum of Raipur and also in the Govt. High School, Raipur. Late Umadas Mukherjee, the founder Principal, a visionary in the field of education, in his wistful endeavour pledged to steer the institute and the region into an era of science and technology. In its initial years, the college was affiliated to the Saugar University. The college began its journey with 126 students for its intermediate science Course (I.Sc.) which was upgraded to a three years Bachelor Degree Course (B.Sc.) in 1950. In addition to offering courses in Biology, Mathematics, Physics and Chemistry, the college started PG classes in Botany, Zoology, Chemistry, Physics and Mathematics in 1956. Courses in Geology and Defence Studies were also introduced in 1956 and 1972 respectively. In its pursuit of providing excellence in higher education the college further introduced PG courses in English, Economics, History and Hindi. However, due to the changes in Government policy the study of Art Courses was withdrawn in 1975. In its quest to equip the students with a wider range of academic facilities, the college adds more courses to its curriculum. The self financing vocational courses include Computer Science, information Technology, Biotechnology, Bio Chemistry, Micro Biology at U.G. level and Bioechnology a P.G. level. Now these subjects exist as separate departments for rapid quality growth. The institute was conferred with the title of Model College in 1985 which was further conferred Autonomous status in 1987-88. Later, the Department of Higher Education, Govt. of Chhattisgarh renamed the college as Govt. Nagarjuna P.G. College of Science. Raipur in the year 2005. This is a lead college of the district too.

Along with academic expertise the College has strived to extend infrastructural facilities to its students. In 2009, an e-classroom was set up to enable students to communicate with IIT Kanpur and an English Language Lab was established to allow students to hone their communication skills. The College Placement Cell is well linked with the corporate world and assists the students in the recruitment process to successfully launch their careers. Various activities like personality development programmes, group discussions, mock interview, are organized for the growth of the students both on a personal and professional level. General knowledge tests are conducted on a weekly basis to prepare the students for Competitive Examinations. The College is also equipped with ample sports facilities and also encourages the students to actively participate in cultural activities.

The College has earned the recognition as a leading institution of repute due to its significant contribution to the development of the youth of the region.

1. शिक्षण पाठ्यक्रम एवं विषय संयोजन

शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर विज्ञान में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के अध्यापन और अध्ययन की सुविधाओं से सम्पन्न है। इस महाविद्यालय में पी.एच.डी. (शोध उपाधि) से संबंधित कार्य भी संचालित है। महाविद्यालय का संचालन तथा वित्तीय परिक्षेत्र छत्तीसगढ़ शासन के अधीन है।

यह महाविद्यालय पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से स्वशासी महाविद्यालय (ऑटोनॉमस कॉलेज) के रूप में मान्य तथा सम्बद्धता प्राप्त है। राज्य शासन द्वारा आदर्श महाविद्यालय के रूप में अनुमोदित किया गया है। इस महाविद्यालय का नवीन सत्र 2025-26, 16 जून 2025 को प्रातः 10.30 बजे से प्रारम्भ हो रहा है।

स्नातक पाठ्यक्रम (Under Graduate Course) (नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप)

बी.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर (B.Sc. 1st Semester)

बी.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर में निम्नलिखित विषयों में से विद्यार्थी एक विषय समूह का चयन कर सकता है। जिसमें उसे प्रवेश की अर्हता होगी-

क्र. विषय समूह (DSC-1, A,B,C)	उपलब्ध स्थान
01. गणित, रसायन-विज्ञान, भौतिक -विज्ञान (Mathematics, Chemistry, Physics)	230
02. गणित, भौतिक-विज्ञान, भूविज्ञान (Mathematics, Physics, Geology)	32
03. गणित, भौतिक-विज्ञान, रक्षा अध्ययन (Mathematics, Physics, Defence Studies)	22
04. गणित, भौतिक- विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी (Mathematics, Physics, Information Technology)	63
05. गणित, भौतिक-विज्ञान, कम्प्यूटर-विज्ञान (Mathematics, Physics, Computer Science)	63
06. रसायन-विज्ञान, प्राणी-विज्ञान, वनस्पति-विज्ञान (Chemistry, Zoology, Botany)	220
07. रसायन-विज्ञान, वनस्पति-विज्ञान, भू-विज्ञान (Chemistry, Botany, Geology)	30
08. रसायन-विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रक्षा-अध्ययन (Chemistry, Botany, Defence Studies)	30
09. रसायन-विज्ञान, वनस्पति-विज्ञान, सूक्ष्म जीव-विज्ञान (Chemistry, Botany, microbiology)	40
10. रसायन-विज्ञान, वनस्पति, जैव-प्रौद्योगिकी (Chemistry, Botany, Bio-Technology)	30
11. रसायन-विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जैव-रसायन (Chemistry, Botany, Bio-Chemistry)	12
12. रसायन-विज्ञान, प्राणी-विज्ञान, जैव -प्रौद्योगिकी	

(Chemistry, Zoology, Bio-technology)	30
13. रसायन-विज्ञान, प्राणी-विज्ञान, जैव-रसायन	
(Chemistry, Botany, Bio-Chemistry)	12
14. रसायन-विज्ञान, प्राणी-विज्ञान, भू-विज्ञान (Chemistry, Zoology, Geology)	30
15. रसायन-विज्ञान, प्राणी-विज्ञान, रक्षा-अध्ययन	
(Chemistry, Zoology, Defence Studies)	30
16. बी.सी.ए. (समस्त निर्धारित विषय)	50

टीप- एक से अधिक विषय समूह में आवेदन करने हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र पृथक रूप से जमा करना होगा।

नई शिक्षा नीति 2020 की योजनानुसार प्रत्येक विद्यार्थी को बी.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर में निम्नलिखित विवरणानुसार विषयों का चयन करना होगा -

1. DSC-01 : इसके अन्तर्गत ऊपर उल्लेखित क्र. 1 से 15 तक वर्णित विषय समूह में से किसी एक विषय समूह का चयन करना है। प्रत्येक विषय समूह में 3 मुख्य विषयों (DSC- A, B एवं C) को सम्मिलित किया गया है।
2. GEC-01 : महाविद्यालय में उपलब्ध विषयों (भूगोल, अर्थशास्त्र, हिन्दी, साहित्य, अंग्रेजी साहित्य में से कोई एक विषय का चयन करना है।
3. AEC-01 : प्रथम सेमेस्टर के लिए - अंग्रेजी
4. VAC-01 : Pool से चयन करना। इसके अन्तर्गत सभी मुख्य विषयों के अन्तर्गत सूची में से विषय का चयन करना होगा।

बी.एस.सी. द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम एवं अष्टम सेमेस्टर

(B.Sc. Sem II, III, IV, V, VI, VII & VIII)

(नई शिक्षा नीति (NEP) के तहत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा घोषित पाठ्यक्रमानुसार)

स्नातक स्तर : अवधि 04 से 04 वर्ष NEP 2020 के प्रावधानों के अनुसार सम्पूर्ण स्नातक पाठ्यक्रम की रूपरेखा निम्नानुसार होगी-

प्रथम वर्ष (1st Year)	सेमेस्टर-I	20 क्रेडिट	40 क्रेडिट	सर्टिफिकेट
	सेमेस्टर-II	20 क्रेडिट		44 क्रेडिट
द्वितीय वर्ष (2nd Year)	सेमेस्टर-III	20 क्रेडिट	40 क्रेडिट	84 क्रेडिट
	सेमेस्टर-IV	20 क्रेडिट		डिप्लोमा
तृतीय वर्ष (3rd Year)	सेमेस्टर- V	20 क्रेडिट	40 क्रेडिट	120 क्रेडिट
	सेमेस्टर- VI	20 क्रेडिट		डिग्री
चतुर्थ वर्ष (4th Year)	सेमेस्टर- VII	20 क्रेडिट	40 क्रेडिट	ऑनर्स (160 क्रेडिट)
	सेमेस्टर- VIII	20 क्रेडिट		ऑनर्स विथ रिसर्च (164 क्रेडिट)

टीप- उपरोक्त योजनानुसार विद्यार्थी के लिए 4 प्रावधान है।

1. एक वर्ष (सेमेस्टर I एवं II) पूर्ण करने पर अध्ययन छोड़ने पर विद्यार्थी केवल प्रमाण पत्र का हकदार होगा।

2. दो वर्ष (सेमेस्टर I, II, III एवं IV) पूर्ण करने पर अध्ययन छोड़ने पर विद्यार्थी डिप्लोमा प्रमाण पत्र का हकदार होगा।
3. तीन वर्ष (सेमेस्टर I,II,III, IV, V एवं VI) पूर्ण करने पर विद्यार्थी स्नातक (VG) की डिग्री का हकदार होगा।
4. चार वर्ष (आठ सेमेस्टर) पूर्ण करने (16 क्रेडिट) पर विद्यार्थी ऑनर्स (HONOURS) अथवा 164 क्रेडिट होने पर विद्यार्थी को ऑनर्स विथ रिसर्च (Honours with Research)) की उपाधि का हकदार होगा।

NEP -2020 में choice Based Credit System (CBCS) के अन्तर्गत कोर्स का नाम-

Course Name	Course Code
1. Discipline Specific Course (Major/ Core)	DSC
2. Discipline Specific Elective Course (Minor/ Inter disciplinary)	DSE
3. General Elective / Multi- disciplinary	GE
4. Ability Enhancement Course	AEC
5. Skill Enhancement	AEC
6. Value Addition Course	VAC
7. Internship/Apprenticeship	XXX
8. Research Methodology/Project & Dissertation	XXX

टीप- स्नातक उपाधि का पाठ्यक्रम 03 से 04 वर्ष का होगा। प्रत्येक वर्ष में दो सेमेस्टर होंगे।

नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार (B.Sc) प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष हेतु Course Curriculum Framework (CCF)

1st Year CCFUP For B.Sc. (Maths & Life Science)

Sem.	DSC(4C) A/B/C	DSE	GE (4C)	AEC (2C)	VAC/SEC (2C)	Credits
I	DSC A 1(4C) DSC B1 - (4C) DSC A 2-(4C)	XX	GE-01 (4C) Economic/ Geography Hindi Lit. English Lit.	AEC-01 (2C) English	VAC-01 (2C) From the Pool	20 Credits
II	DSC A2 -(4C) DSC B2 -(4C) DSC cC-2 (4C)	XX	GE -02 (4C) Economic/ Geography/ Hind Lit./ English Lit.	AEC-02 (2C) Hindi	AEC-02 (2C) From the Pool	SEC-01 20 Credits
Students on exit shall be awarded undergraduate certificate after securing requisite 44 credits. [Extra 4 credits of Voc/Skill Course have to be earned from any recognised platform/						40 Credits

2nd Year CCFUP For B.Sc. (Maths & Life Science)

Sem.	DSC(4C) A/B/C	DSE/GE (4C)	AEC (2C)	VAC/SEC	Credits (2C)
III	DSC A3 - (4C) DSC B3 - (4C) DSC C3 - (4C)	DSE-01 of A/B/C (4C)	AEC-03 (2C) EVS	VAC-02 (2C) From the	20 Credits Pool
IV	DSC A4 - (4C) DSC B4 - (4C) DSC C4 - (4C)	DSE-02 of A/B/C (4C)	AEC-04 (2C) Communicative Language/ English	SEC-02 (2C) From the Pool	20 Credits
Students on exit shall be awarded undergraduate certificate after securing requisite 84 credits. [Extra 4 credits of Voc/Skill Course have to be earned from any recognised platform]					80 Credits

3rd Year CCFUP For B.Sc. (Maths & Life Science)

Sem.	DSC(4C) A/B/C	DSE/GE (4C)	AEC (2C)	VAC/SEC	Credits (2C)
V	DSC A5 - (4C) DSC B5 - (4C) DSC C5 - (4C)	DSE-03 of A/B/C (4C)	SEC-03 (2C) From the Pool	VAC-03 (2C) From the Pool	20 Credits
VI	DSC A6 - (4C) DSC B6 - (4C) DSC C6 - (4C)	DSE-04 of A/B/C (4C)	SEC-04 (2C) From the Pool	Internship (2C)	20 Credits
Students on exit shall be awarded Bachelor's Degree					120 Credits

4th Year CCFUP For B.Sc. (Maths & Life Science) For Award of Bachelor degree with Honors (Students securing less than 7.5 CGPA)

VII	DSC -7 A/B/C (4C)	Four DSE -05 to 08 (4x4C) Courses =16C	20 Credits
VIII	DSC-8 A/B/C (4C)	Four DSE09 to 1`2 (4x4C) Courses =16 C	20 Credits
For Award of Bachelor degree with Honours & Research (Students Securing at least 7.5 CGPA)			Total 160C

VII	DSC-7 A/B/C (4C)	Three DSE -05 to 07 (3x4C) =12C	DS Research Methodology (4C)	20 Credits
VIII	DSC-8 A/B/C (4C)	Three DSE -08 to 10 (3x4C)= 12C	Research Work Dissertation (4+4C)	24 Credits
Student will be Awarded Bachelor (Honors) or (Honors with Academic Research) in Specific Discipline after securing the requisite credits on completion of sem.				Total 164 Credits

नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार BCA प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष हेतु CCF

CCFUP For BCA

Sem.	DSC(4C) A/B/C	DSE	GE (4C)	AEC (2C)	SEC/VAC (2C)	Credits
I	DSC A 1-(4C) DSC A 2-(4C) DSC A 3-(4C)	XX	GE-01 (4C) From the Pool	AEC-03 (2C) English Lan.	SEC-01 (2C) From the Pool	20 Credits
II	DSC A 4-(4C) DSC A-5 -(4C)	XX	GE-02 (4C) From the Pool	AEC-02 (2C) Hindi Lan.	SEC-01 (2C) From the Pool	20 Credits
Students on exit will be awarded undergraduate certificate by securing requisite 33 credits [Extra 4 credits of Voc/skill course have to be earned from any recognised platform]						40C
III	DSC A 7-(4C) DSC A 8-(4C) DSC A 9- (4C)	DSE-01 of A (4C)		AEC-03 (2C) EVS	VAC-02 (2C) From the Pool	20 Credit
IV	DSC A 10- (4C) DSC A 11- (4C) DSC A 12- (4C)	DSE-02 of A (4C)		AEC-04 (2C) Communicative Language	SEC-02 (2C) From the Pool	20 Credits
Students on exit will be awarded undergraduate certificate by securing requisite 84 credits [Extra 4 credits of Voc/Skill course have to be earned from any recognised platform]						80 C
V	DSC A 13 - (4C) DSC A14 - (4C) DSC A 15 - (4 C)	DSE -03 of (4C)		SEC-03 (2C) From the Pool	VAC-3 (2C) From the Pool	20 Credits
VI	DSC A 16 -(4C) DSC A 17 -(4C) DSC A 18 -(4C)	DSE-04 of (4C)		SeC -04 (2C) From the Pool	Internship (2C)	20 Credits
Student on exit shall be awarded Bachelor's degree (in Field of Multidisciplinary study) after sem. VI For Award of Bachelor degree with Honors (Students Securing less than 7.5 CGPA)						120C

VII	DSC A-19 (4C)	Four DSE -05 to 08 (4x4) courses =16 C	20 Credits
VIII	DSC A-20 (4C)	Four DSE -09 to 12 (4x) courses =16C	20 Credits
For Award of Bachelor degree with Honors (Students Securing less than 7.5 CGPA)			
VII	DSC A -10	Three DSE -05 to 07 (3x4) =12 C	20 Credits
VIII	DSC A-20 (4C)	Three DSE -08 to 10 (3x4) =12C	24 Credits
Student shall be awarded Bachelor of (in the Field of Multidisciplinary study) [Honors (160C) or Honors with Academic Research (164C) after securing the requisite credits on completion of Sem. VIII			Total Cr. 164C

COURSE ASSESSMENT

Maximum Marks	100 50	For 4 /3 Credit For 2/ 1 Credit	Passing Marks -40 Passing Marks -20
CIA Continuous Assessment	30%	Two Test/ Quiz One Assignment	Test 1 & 2 of 20/10 Marks Assignment -10/05 Marks
	Marks Obectined		Better of 2 Test/ Quiz + Assignment
ESE: End Semester Examination	70%	Well defined question Paper pattern Objective Type, Short answer ane descriptive answer type Questions	
Passing Marks (40%) Consideration	40 out of 100 OR 20 Out oif 50 Cumulative Marks obtained in CIA + ESE		

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (Post Graduate Course)

एम.एस-सी. प्रथम सेमेस्टर (M.Sc., First Semester)

विद्यार्थी ने बी.एस-सी. परीक्षा जिन विषयों को लेकर उत्तीर्ण की है वह उन्हीं विषयों में से एक विषय में एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश पाने का पात्र है। रक्षा अध्ययन के लिए किन्हीं भी विषयों को लेकर बी.एस.सी. उत्तीर्ण विद्यार्थी के लिए पात्र होंगे। जैव प्रौद्योगिकी में जैव समूह के किसी भी विषयों में उत्तीर्ण छात्र प्रवेश ले सकते हैं।

क्र.	विषय	उपलब्ध स्थान
4.01	जैव-प्रौद्योगिकी (Biotechnology)	15
4.02	वनस्पति-विज्ञान (Botany)	25
4.03	रसायन-विज्ञान (Chemistry)	25
4.04	रक्षा-अध्ययन (Defence Studies)	25
4.05	भू-विज्ञान (Geology)	25
4.06	गणित (Mathematics)	35
4.07	भौतिक-विज्ञान (Physics)	25
4.08	प्राणी-विज्ञान (Zoology)	25
4.09	सूक्ष्म जीव विज्ञान	30
4.10	जैव रसायन	20
4.11	सूचना प्रौद्योगिकी	30

टीप- प्रत्येक विषय के लिये विषयवार पृष्ठक-पृथक आवेदन करना होगा।

स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत अध्यापन :

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा जारी अध्यादेश क्रमांक 170 के अधीन स्नातकोत्तर कक्षाओं में सेमेस्टर प्रणाली लागू की गई है। यह अध्यादेश अवलोकनार्थ परीक्षा प्रकोष्ठ में उपलब्ध है।

सभी विषयों की स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन कार्य सत्र 2006-07 से सेमेस्टर पद्धति से किया जा रहा है। सेमेस्टर में सैद्धांतिक कक्षाओं के साथ प्रायोगिक कार्य कराया जाता है। विषय के अनुसार लैब कार्य, फील्ड वर्क, प्रोजेक्ट आदि कराया जाता है। सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक परीक्षाएं प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में ली जाती हैं। वर्तमान में स्नातकोत्तर कक्षा में परम्परागत मूल्यांकन पद्धति अपनायी जा रही है।

नोट - उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन के आदेशानुसार सत्र 2007-2008 से स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान के सभी विषय अध्यापन अनिवार्यतः अंग्रेजी माध्यम में कराया जायेगा। परीक्षा का माध्यम विद्यार्थी हिन्दी या अंग्रेजी के रूप में चयन के लिये स्वतंत्र होंगे।

कम्प्यूटर विज्ञान में संचालित डिप्लोमा कोर्स

महाविद्यालय में निम्नलिखित डिप्लोमा कोर्स छात्रों के लिए उपलब्ध है।

डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA) :	उपलब्ध सीट	30
पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (PGDCA) :	उपलब्ध सीट	30
BCA पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता 12 वीं उत्तीर्ण होना चाहिये।		
DCA पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता 12 वीं उत्तीर्ण होना चाहिए।		
PGDCA पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता किसी भी संकाय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए।		

शोध केन्द्र

महाविद्यालय के वनस्पति विज्ञान, रसायन, रक्षा अध्ययन, भू-विज्ञान, गणित, भौतिकी और प्राणी विज्ञान, जैव रसायन, जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को शोध केन्द्र की मान्यता है जहाँ पर पी.एच-डी. के शोधार्थी प्रवेश ले सकते हैं।

2. प्रवेश मार्गदर्शक सिद्धांत

(नोट : छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर संशोधित प्रवेश नियम लागू होंगे।)

- 1.0 प्रयुक्ति- ये मार्गदर्शक सिद्धांत छ.ग. के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 व 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 2.0 प्रवेश की तिथि- शासन द्वारा घोषित तिथि अनुसार।

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना -

महाविद्यालय के शिक्षण संस्थान एवं स्वशासी महाविद्यालयों को छोड़कर समस्त संबद्ध शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर ऑनलाईन फार्म जमा कराया जायेगा। जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे उसे उस, महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगे। विश्वविद्यालय से प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों में से महाविद्यालय स्तर पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के नियमानुसार प्रवेश प्रदान किया जायेगा।

- (अ) अपरिहार्य कारणों से यदि ऑफलाईन आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिये प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।
- (ब) प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगे।
- (स) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में अनिवार्यतानुरूप किसी भी संशोधन/परिवर्धन संबंधित निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे।
- (द) विश्वविद्यालय के शिक्षण संस्थान एवं स्वशासी महाविद्यालय में प्रवेश हेतु संस्था स्तर पर ऑनलाईन फार्म जमा कराया जायेगा। स्वशासी महाविद्यालयों में चतुर्थ वर्ष अर्थात् सप्तम सेमेस्टर में प्रवेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित अध्यादेश के अनुसार प्रदान किया जायेगा।

प्रवेश आवेदन पत्र में संलग्न प्रपत्रों की सूची (चेक लिस्ट)

1. नवीनतम पासपोर्ट साईज 3 फोटो
2. इस महाविद्यालय में प्रवेश पाने के पूर्व जिस विद्यालय/महाविद्यालय में विद्यार्थी ने अध्ययन किया है उस शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (Original Transfer Certificate) आवश्यक होगा । किन्तु महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है ।
3. हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी एवं जिस कक्षा में प्रवेश ले रहे हैं उसके पूर्व की सभी कक्षाओं की (हाई स्कूल तक) अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति ।
4. निवास प्रमाण पत्र
5. नियोक्ता की स्वीकृति (यदि कोई आवेदक सेवारत हो)
6. प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) यदि अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।
7. अंतराल प्रमाण पत्र (Gap Affidavit) यदि किसी शिक्षा सत्र में अंतराल रहा हो ।
8. पात्रता प्रमाण पत्र (C.G./C.B.S.E./A.I.S.S./C.E. बोर्ड/Pt. R.S.U./ Sarguja /Bastar University को छोड़कर) ।
9. यदि विद्यार्थी ने स्वाध्यायी तौर पर परीक्षा उत्तीर्ण की है तो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त सदाचार का प्रमाण पत्र (Good Conduct Certificate)
10. अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को विभिन्न सुविधाओं तथा छात्रवृत्तियों के लिए निम्न दो प्रमाण पत्र लगाने होंगे । (1) जाति प्रमाण -पत्र (2) आय प्रमाण -पत्र ।
ये प्रमाण-पत्र तहसीलदार अथवा राजस्व अधिकारी द्वारा प्राप्त किये जाएँ ।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना -

स्थानांतरण प्रकरण छोड़कर 16 जून तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रति वर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे । (स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की तिथि 16 जून से तथा अन्य कक्षाओं सेमेस्टर हेतु 16 जून से 15 जुलाई तक या परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिवस तक शासन द्वारा समय -समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश की प्रक्रिया की जावेगी । परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त 10 दिवस के भीतर प्रवेश कार्य पूर्ण किये जावेंगे । परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में । कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद भी प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दुरान प्रवेश दिया जाये, किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा एवं आवेदक को पूर्व सेमेस्टर के कोर्सेस/कोर्स क्रेडिट का मिलान करना आवश्यक होगा तथा आवेदक को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जाएगा ।

2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना-

12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता रहेगी । सेमेस्टर प्रणाली में पुनर् मूल्यांकन/पुनर्गणना का प्रावधान नहीं है । परन्तु किसी सेमेस्टर के किसी कोर्स विशेष में प्रावधानानुसार निविदित मूल्यांकन द्वारा परिणाम में परिवर्तन होने की स्थिति में सेमेस्टर वार प्रोन्नति नियम के अनुसार आगामी सेमेस्टर में प्रोन्नत होने की पात्रता होगी ।

3.0 प्रवेश संख्या का निर्धारण -

- 3.1 शासन द्वारा महाविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण, उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टॉफ की उपलब्धता आदि के आधार पर प्राचार्य द्वारा विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित की गई छात्र संख्या की अनुमति दी जाती है। प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रवेश संख्या निर्धारित संख्या से अधिक न हो।
- 3.2 सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालय में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4.0 प्रवेश सूची -

- 4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित तिथि की सूचना देते हुए प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहाँ अधिभार देय है, वहाँ अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची प्रतिशत अंक सहित सूचना पटल पर लगाई जाएगी।
- 4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा कराये जाने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जाएगी।
- 4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा।
- प्रवेश के पश्चात् स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाएगा।**
- 4.4 घोषित प्रवेश सूची के अनुसार शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभ कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रुपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप में वसूला जाएगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 14 अगस्त के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

4.5 मार्गदर्शिका से लेना है.....

5.0 प्रवेश की पात्रता-

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा -

- (क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी (छ.ग.) में स्थायी सम्पत्तिधारी निवासी/ राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी महाविद्यालय में रिक्त स्थान उपलब्ध होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
- (ख) स्नातक स्तर पर सेमेस्टर I, II, III, IV, V परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों में क्रमशः सेमेस्टर I, II, III, IV, V, VI, VI एवं VIII में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाये।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश

- (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। 10+2 कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अथवा बी.एस.सी. (बॉयो/गणित समूह) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। संकायवार निर्धारित विषय समूह के अनुरूप ही प्रवेश दिया जायेगा।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रत्येक सम सेमेस्टर (द्वितीय/चतुर्थ/षष्ठम/अष्टम) में प्रवेश नियमित प्रवेश की पात्रता संबंधित अध्यादेश/विनियम में उल्लेखित प्रोन्नति नियम (Promotion Rule) के अनुसार ही होगी तथा किसी सेमेस्टर में विषय परिवर्तन की पात्रता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 के प्रावधानानुरूप होगी।

(ग) स्वशासी महाविद्यालयों में संचालित चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के सप्तम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश संबंधित अध्यादेश के प्रावधानानुरूप दिया जावेगा।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर पर नियमित प्रवेश-

(क) स्नातक परीक्षा में आवेदित विषय लेकर बी.एस.सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातकोत्तर प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर के क्रमशः द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में प्रवेश नवीनीकरण तथा द्वितीय सेमेस्टर में उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय में स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में नियमित प्रवेश स्वशासी महाविद्यालय के अध्यादेश में उल्लेखित प्रोन्नति नियम के अनुरूप दी जावेगी। तृतीय सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु -

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्राविधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित

अंतिम तिथि के पूर्व प्राविधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।

2. स्नातकोत्तर सेमेस्टर में बैकलाग कोर्स से संबंधित/सेमेस्टरवार प्रोन्नति नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्राविधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

3. स्वशासी महाविद्यालयों में संचालित चार वर्षीय पाठ्यक्रम के तीन वर्ष के बाद एक्जिट होने वाले विद्यार्थी को स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

6.0 समकक्ष परीक्षा -

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों / इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षा छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने / डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धवार्षिकीय पत्र क्रमांक 1-52/2013 (सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार - जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कृिछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिल लेने के इच्छुक हैं तता जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहे हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों के क्षैतिज गत्यात्मता के लि सुअवसर मिल सके।

7.0 बाह्य आवेदकों का प्रवेश-

- 7.1 स्नातक स्तर तक पर वार्षिक प्रणाली अंतर्गत बी.ए./बी.कॉम/बी.एस.सी./बी.एच.एस.सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय में द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये।
- 7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों / स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की द्वितीय वर्ष परीक्षा (वार्षिक प्रणाली हेतु) अथवा प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा, अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी से स्नातकोत्तर प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही इहीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे। राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

8.0 अस्थाई प्रवेश की पात्रता -

- अस्थाई प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के पूर्व अस्थाई प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।
- 8.1 स्नातक स्तर की द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर अगली कक्षा में अस्थाई प्रवेश की पात्रता होगी।
 - 8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में बैकलाग/ए.टी.के.टी. प्राप्त आवेदकों को अगली सेमेस्टर कक्षा में अस्थाई प्रवेश की पात्रता संबंधित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय के अध्यादेश/विनियम में प्रावधानि नियमानुसार होगी।
 - 8.3 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड (1) एवं (2) के आवेदकों को अस्थाई प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
 - 8.4 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अस्थाई प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थाई प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थाई प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थाई प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जाएगा।

9.0 प्रवेश हेतु अर्हताएँ -

- 9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्राप्त छात्र-छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में आगामी सत्र में पुनः प्रवेश की पात्रता नहीं होगी परन्तु यदि किसी छात्र/छात्रा ने पूर्व में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो, तो ऐसा आवेदक नियमित छात्र नहीं माना जावेगा। उसे मात्र मूलस स्थानांतरण प्रमाण -पत्र तथा शपथ पत्र जिससे

प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

- 9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो, चेतावनी देने के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत होंगे।
- 9.3 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र-छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिए अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु कमेटी गठित कर जाँच करवायें एवं जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जाये।
- 9.4 प्रवेश हेतु आयु सीमा :
छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 दिनांक 15.08.2021 द्वारा सभी कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों में आयु सीमा के बंधन को समाप्त किया गया है।
- 9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारियों को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जायेगा।
- 9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को विधि संकाय को छोड़कर अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 9.7 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानानुरूप स्नातक स्तर पर स्वाध्यायी विद्यार्थी को विषम सेमेस्टर (तृतीय/पंचम/सप्तम) में स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.8 विदेशी नागरिता अथवा विदेशी विश्वविद्यालय/बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थी को प्रवेश प्रदान करने के संबंध में यू.जी.सी. द्वारा जारी प्रावधानों/नियमों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा पात्रता निर्धारण नियमों के अनुसार प्रवेश दिया जायेगा।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण-

- 10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश गुणानुक्रम से किया जावेगा।
(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा
(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।
- 10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयारी की जायेगी।

11 प्रवेश हेतु प्राथमिकता-

- 11.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षा में प्रवेश हेतु प्राथमिकता के आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।
- 11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा। यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानानुसार संचालित 3/4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम अन्तर्गत अगली कक्षाओं/सेमेस्टर में प्रवेश अध्यादेश/विनियम में प्रावधानित नियमानुसार होगा। तथापि प्राथमिकता नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।
- 11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

- 11.4 स्नातक स्तर के 3/4 वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों / तहसीलों/जिलों के निवासरत अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थियों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।
- 11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।
- 12. आरक्षण, छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा -**
- 12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तब किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात :
- (क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप संख्या में से 32 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
- (ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप संख्या में से 12 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
- (ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप संख्या में से 14 प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी। परन्तु जहाँ अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत क्रम में पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जायेगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो इसे विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जायेगा। परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात भी जहाँ खण्ड (क) (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जायेगा।
- 12.2 (1) बिन्दु 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टिकल) रूप से अवधारित किया जायेगा।
- (2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों/भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में शैक्षणिक आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।
- 12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नातकी -नातिन के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।
- 12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिए आरक्षित होंगे।
- 12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेंगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।
- 12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 12 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा तथा यदि 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।
- 12.7 जम्मू-कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
- 12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।
- 12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.सी 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129 (3) में यह निर्देश दिया गया है कि - "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाये।

टीप- अवर सचिव, छ.ग. शासन सामान्य प्रसासन विभाग के पत्र क्र. एफ13-1/2003/आ.प्रा./1-3 नवा रायपुर दिनांक 03.05.2023 के अनुरूप आरक्षण संबंधी प्रावधान माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्र. 19668/2022 के अंतिम आदेश के अधीन होगी।

13 अधिभार-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जाएगा। पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तियों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ ही संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जाएगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस. स्काउट्स - (स्काउट्स शब्द को स्काउट्स गाइड्स/रेन्जर्स/रोबर्स के अर्थ में पढ़ा जाये।)

(क) एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट	02 %
(ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी. "बी" या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	03 %
(ग) एन.सी.सी. सी सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 %
(घ) राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में गुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04%
(ङ) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छ.ग. के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कन्टिजेंट में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05%
(च) राज्यपाल स्काउट्स	05%
(छ) राष्ट्रपति स्काउट्स	10%
(ज) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट	10%
(झ) ड्यूक ऑफ एडिन बर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	10%
(ञ) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन.सी.सी. एन.एस.एस. के तहत चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को/अंतर्राष्ट्रीय जम्हूरी के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले विद्यार्थी को	15%

13.2 ऑनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर 10%

13.3 खेलकूद/साहित्य/सांस्कृतिक/विविध/रूपांकन प्रतियोगिताएं -

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अन्तर जिला (संभाग स्तर) अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर/अंचल (संभाग/क्षेत्र स्तर) प्रतियोगिता में

- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 2%
- (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 4%
- (2) उपर्युक्त कण्डाक 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग (राज्य स्तर) अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तरक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में
- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 6%
- (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 7%
- (ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 5%
- (3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित/संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में
- (क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 15%
- (ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के प्रत्येक सदस्य को 12%
- (ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगिका को 10%
- 13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य अथवा साइन्स एवं कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत (विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के प्रत्येक सदस्य को 10%
- 13.5 छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में
- (क) छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के प्रत्येक सदस्य को 10%
- (ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ के टीम के प्रत्येक सदस्य को 12%
- 13.6 जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को 1%

13.7 विशेष प्रोत्साहन-

- (क) एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं सेमेस्टर में सीधे प्रवेश दिया जाए, जिनकी उन्हें पात्रता है।

बशर्ते कि :

- (1) इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण विभाग छ.ग. शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं
- (2) यह सुविधा उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी, जिन्होंने निर्धारित समयावधि में अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त के लिए उन्हें यह उपलब्ध पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 13.8 स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु विद्यालय स्तर के पछिले 4 क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14. संकाय/विषय/गुप परिवर्तन

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/सेमेस्टर में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/गुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले

विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुए प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/ सेमेस्टर में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अकादमिक कैलेंडर में निर्धारित सतत आंतरिक मूल्यांकन के प्रथम चरण के पूर्व दिनांक तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

टीप : उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर प्रकाशित/ संशोधित प्रवेश नियम लागू होंगे।

15.0 शोध छात्र-

शासकीय महाविद्यालय में पी.एच.डी. हेतु चयनित शोध छात्रों को महाविद्यालय में प्रवेश लेकर सर्वप्रथम 6 माह का कोर्स पूर्ण करना होगा तत्पश्चात परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वे पी.एच.डी. हेतु वि.वि. में पंजीयन करवाकर शोध कार्य प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ में दो वर्ष के लिए प्रवेश दिया जाएगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में गाईड की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे। प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जाएगा। शोध छात्र के लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच.डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक (गाईड) के अंतर्गत अपना शोध कार्य सम्पादन करेंगे। अध्यापन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत हैं तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण पत्र एवं तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा। महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक (गाईड) के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र उसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहाँ से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था। शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त छात्र का शोध प्रबंध महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे। संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहपठित करते हुए लागू होगा।

16. विशेष-

- 16.1 जाली प्रमाण-पत्र गलत जानकारी, जानबूझ कर छिपाये गए प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.2 प्रवेश लेकर बिना किसी समुचित कारण/पूर्व अनुमति या सूचा के बिना लगातार एक माह या उससे अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को है।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश दिए जाने या न दिए जाने हेतु मार्गदर्शक की आवश्यकता हो, तो प्राचार्य अनिवार्य रूप से अपनी टीप व स्पष्ट अभिमत देते हुए अभिमत देते हुए संबंधित परकरण में स्पष्टीकरण या मार्गदर्शन अयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन रायपुर से प्राप्त करें। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाए।
- 16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन को है। इस मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन/संलग्न का सम्पूर्ण अधिकार केवल छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग/ मंत्रालय को है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी ऐसे परवर्ती आदेशों को इस सिद्धांतों के परिशिष्ट के रूप में संलग्न माना जाएगा।

3. महाविद्यालय में प्रवेश नियम एवं उप-नियम

1. महाविद्यालय में प्रवेश का तात्पर्य बी.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर वर्ष अथवा एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश से है। अन्य संस्थाओं से आने वाले विद्यार्थी किसी भी कक्षा में प्रवेश लेते हैं, वह नया प्रवेश माना जाएगा। इसी महाविद्यालय के नियमित छात्रों का अगली कक्षा में प्रवेश केवल नवीनीकरण प्रवेश होता है।
2. स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु दिये गे मार्गदर्शक सिद्धांत के तहत पात्रता रखने वाले छात्र/छात्राएं महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं। महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र/छात्राएं पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को छोड़कर यदि छत्तीसगढ़ अथवा छत्तीसगढ़ के बाहर से विश्वविद्यालयों से परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रवेश हेतु आवेदन करते हैं तो उन्हें पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा इसके पश्चात् ही प्रवेश दिया जाएगा। इसी प्रकार यदि छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर एवं सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन और आई.सी.एस.ई. नई दिल्ली द्वारा संचालित 10+2 (बारहवीं) परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को छोड़कर अन्य बोर्ड अथवा प्री-डिग्री यूनिवर्सिटी परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को भी पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही प्रवेश दिया जावेगा। पात्रता प्रमाण पत्र हेतु उन्हें समस्त परीक्षाओं की अंक सूचियों तथा उपाधि प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित स्वच्छ फोटो प्रतियां विश्वविद्यालय भेजना होगा, आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्डरी की अंक सूचियों की फोटो प्रति संलग्न करना आवश्यक है।
3. सभी विद्यार्थी जो इस महाविद्यालय में बी.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर एवं एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश प्राप्ति के इच्छुक हों वे पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि. के पोर्टल में जाकर ऑन लाईन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन की हार्डकापी, अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ महाविद्यालय द्वारा जारी मेरिट लिस्ट में नाम आने पर प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। बी.एस.सी. सेमेस्टर II से VIII तथा एम.एस.सी. सेमेस्टर II से IV तक की कक्षाओं में नया प्रवेश लेना चाहते हैं अथवा इस महाविद्यालय में पिछली कक्षा में उत्तीर्ण छात्र-छात्राएं इस विवरण पत्रिका के साथ संलग्न आवेदन पत्र को सम्पूर्ण रूप से भरकर कार्यालय में निश्चित तिथि तक प्रस्तुत करेंगे। प्रवेश नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ भरकर जमा करना होगा। अनुत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एक विषय में पूरक छात्रों को योग्यता के आधार पर ही प्रवेश दिया जा सकेगा। यदि विगत 3 वर्षों में कोई विद्यार्थी, हिंसा अथवा परीक्षा संबंधी अनुचित व्यवहार का दोषी हो तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
4. प्रवेश पाने के लिए आवेदक द्वारा आवेदन पत्र स्पष्ट और सुबोध अक्षरों में स्वयं ही भरा जाना चाहिए और समस्त आवश्यक सूचनाएं दी जानी चाहिए। प्रमाण पत्र आदि एवं फोटो (यदि परिचय पत्र न हो तो) संलग्न कर सम्पूर्ण आवेदन पत्र महाविद्यालय के कार्यालय में परीक्षाफल घोषित होने के बाद 15 दिन के अंदर या प्राचार्य द्वारा घोषित तिथि तक प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद प्राप्त आवेदन पत्र विचारार्थ तभी स्वीकार किये जावेंगे, जब स्थान रिक्त होगा। महाविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय सूचना पटल पर प्रदर्शित की जावेगी।
5. प्रवेश के समय संलग्न करने हेतु प्रपत्र
 - i. इस महाविद्यालय में प्रवेश पाने के पूर्व जिस विद्यालय/महाविद्यालय में विद्यार्थी ने अध्ययन किया है, उस शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदत्त मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (Original Transfer Certificate) आवश्यक होगा, किन्तु इस महाविद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है।
 - ii. पिछली परीक्षा के अंक सूची की एक प्रमाणित प्रति।
 - iii. यदि विद्यार्थी ने स्वाध्यायी तौर पर परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त सदाचार का प्रमाण पत्र (Good Conduct Certificate).
 - iv. बिना प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) के प्रवेश नहीं दिया जाएगा और यदि प्रवेश दिया गया, तो

5 सितम्बर तक प्रवजन प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर प्रवेश निरस्त समझा जाएगा।

- v. प्रवेशाधिकारी (Professor In-Charge Admission) प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक की संस्तुति।
- vi. एक फोटो (यदि परिचय पत्र न हो तो दो फोटो)।

6. प्रवेशोपरांत आवश्यक निर्देश -

- i. ऐसे विद्यार्थी जो किसी संस्थान/कार्यालय में कार्यरत हैं। वे अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे जिसमें यह भी स्पष्ट हो कि वे विद्यार्थी को महाविद्यालय के निश्चित समय पर अवकाश देने के लिए सहमत हैं।
- ii. विषय परिवर्तन के लिए प्रवेश दिनांक से 4 दिन के पश्चात् कोई भी विद्यार्थी अपने अध्ययन के विषय में परिवर्तन नहीं करा सकेगा। इस अवधि के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन विषय परिवर्तन के लिए मान्य नहीं किया जायेगा। प्रवेश के बाद सेक्शन आबंटन में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
- iii. किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश की सूचना व्यक्तिगत रूप से नहीं दी जावेगी। प्रवेश हेतु इच्छुक विद्यार्थी को स्वयं इस विषय की जानकारी सूचना पटल (कार्यालय) से प्राप्त करनी होगी।
- iv. प्रत्येक विद्यार्थी को पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में अपना पंजीयन कराना आवश्यक है अन्यथा उनको विश्वविद्यालय परीक्षा में/स्वशासी महाविद्यालय योजना के अंतर्गत ली जाने वाली परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उनके द्वारा महाविद्यालय में जमा किया गया कोई भी शुल्क वापस नहीं दिया जायेगा। महाविद्यालय इस प्रकार की किसी असावधानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- v. आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय या उसके पूर्व आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में कोई भी नकद/मनीआर्डर/ चेक/ड्राफ्ट द्वारा धनराशि नहीं भेजना चाहिए।
- vi. प्रवेशार्थी से महाविद्यालय शुल्क उसी दशा में स्वीकार किया जा सकेगा, जब उसे प्राचार्य द्वारा प्रवेश संबंधी आदेश किया जायेगा। शुल्क का भुगतान नकद या ऑनलाईन मान्य होगा।
- vii. शुल्क या किसी अन्य प्रकार की धनराशि यदि इस महाविद्यालय में किसी विद्यार्थी/व्यक्ति के द्वारा जमा किया जाये तो उसकी रसीद नियमानुसार प्राप्त कर लेनी चाहिए अन्यथा महाविद्यालय उसके लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

7. विश्वविद्यालयीन अधिनियम में प्रावधान-

छत्तीसगढ़ प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रमांक 7 की धारा 3 के अनुसार महाविद्यालय के छात्र/छात्रा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये प्राचार्य सक्षम हैं। अनुशासनीयता के लिए उक्त अध्यादेश में निम्न प्रकार के दण्ड का प्रावधान है।

- (1) निलंबन
- (2) निष्कासन
- (3) विश्वविद्यालय परीक्षा/स्वशासी परीक्षा में सम्मिलित होने से रोका जाना।

4. विभिन्न शुल्क

अशासकीय शुल्क में संशोधन वित्त समिति की अनुशंसा पर शासी निकाय के निर्णयानुसार किया जा सकता है। प्रवेश की पात्रता के आधार पर प्रवेश समिति की अनुशंसा पर प्रत्येक विद्यार्थी को निम्नानुसार शुल्क देना होगा।

Note- Corrections and modification in fee structure will be made as per instructions of the Directorate of Higher Education, College authority and University.

(A) प्रवेश शुल्क
अशासकीय शुल्क

(अ) सामान्य शुल्क

1. एकीकृत निधि (क्रीड़ा विभाग शुल्क सम्मिलित)(Amalgamated Fund)	32.00
2. छात्र-संघ प्रवेश शुल्क	2.00
3. परिचय पत्र शुल्क	60.00
4. रत्नेह-सम्मेलन शुल्क	75.00
5. ग्रंथालय कार्ड शुल्क	25.00
6. वाचनालय शुल्क (प्रतियोगी परीक्षा साहित्य सम्मिलित)	100.00
7. रेड क्रॉस शुल्क	40.00
8. निर्धन छात्र कल्याण निधि शुल्क	10.00
9. प्रयोगशाला शुल्क (स्नातक कक्षाओं के लिए)	500.00
10. प्रयोगशाला शुल्क (स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए)	500.00
11. महाविद्यालय विकास शुल्क	100.00
12. शारीरिक कल्याण मण्डल शुल्क (विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित)	200.00
13. विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क (विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित)	150.00
14. विश्वविद्यालय नामांकन फार्म शुल्क (विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ऑनलाई प्रोसेसिंग शुल्क)	50.00
15. अप्रवासन शुल्क (विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित)	360.00
16. विश्वविद्यालय छात्रसंघ शुल्क (विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित)	1.00
17. महाविद्यालय पंजीयन शुल्क	300.00
18. आंतरिक मूल्यांकन	300.00
19. सायकल स्टैंड	120.00
20. पत्रिका	80.00
21. शोध कर्ता हेतु प्रयोगशाला शुल्क	
(अ) प्रवेश के समय (एक बार)	9040.00
प्रति छः माही (प्रायोगिक विषय)	4050.00
(स) अप्रायोगिक विषय (प्रति छः माही)	2800.00
24. (अ) स्ववित्तीय विषय शुल्क :	
24.1 एम.एस.सी. जैवरसायन (प्रतिवर्ष)	16000.00
(ब) अमानत राशि शुल्क :	
1. स्नातक	60.00
2. स्नातकोत्तर (सभी विषय)	100.00
(स) महाविद्यालय जनभागीदारी शुल्क	
1. महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्र/छात्रा को निम्नानुसार प्रतिवर्ष जनभागीदारी शुल्क देय होगा।	

1. स्नातक छात्र	600.00
2. स्नातकोत्तर छात्र	600.00

नोट- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उपरोक्त जन भागीदारी शुल्क)1) में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

(B) शिक्षण शुल्क

शासकीय शुल्क

क्र.	मद	वार्षिक	मासिक
1.	बी.एस.सी.	135.00	-
2.	एस.एस.सी. (गणित को छोड़कर)	165.00	-
3.	एम.एस.सी. (गणित)	126.00	-
4.	शोध छात्र	-	50.00
5.	महाविद्यालय स्टेशनरी शुल्क	2.00	-
6.	विज्ञान के छात्रों को विज्ञान शुल्क	-	20.00
7.	प्रवेश शुल्क	-	3.00

(C) छात्रावास शुल्क

(अ) शासकीय शुल्क :

	नया छात्र	पुराना छात्र
1. कमरे का किराया	36	36
2. प्रवेश शुल्क	2	2

(ब) अशासकीय शुल्क :

1.	छात्रावास अमानती धन	30.00
2.	बिजली अग्रिम	6500.00
3.	छात्रावास निर्धन सहायता शुल्क	5.00
4.	छात्रावास रख-रखाव शुल्क	3000.00

(D) परीक्षा शुल्क

क्र.	शुल्क का नाम	नियमित	भूतपूर्व
1.	परीक्षा शुल्क बी.एस.सी. (स्नातक)	(वार्षिक) 1600.00	1600.00
2.	परीक्षा शुल्क बी.सी.ए. (स्नातक)	(वार्षिक) 2000.00	2000.00
3.	परीक्षा शुल्क (स्नातकोत्तर/पी.जी.डी.सी.ए.) (बिना लघु शोध /प्रोजेक्ट)	(प्रति सेमे.) 1100.00	

4.	परीक्षा शुल्क(स्नातकोत्तर /पीजीडीसीए) (लघु शोध/प्रोजेक्ट के साथ)	(प्रति सेम.) 2800.00	2800.00
5.	परीक्षा शुल्क (डी.सी.ए. डिप्लोमा कोर्स)	(प्रति सेम) 2800.00	2800.00
6.	स्नातक पूरक प्रथम एवं द्वितीय अवसर	800.00	800.00
7.	ए.टी.के.टी. प्रति प्रश्न पत्र	1000.00	1000.00
8.	प्रायोगिक परीक्षा शुल्क (स्नातक/स्नातकोत्तर)	(प्रति प्रश्न पत्र)250.00	250.00
		(न्यूनतम) 750.00	750.00
9.	विलंब शुल्क (अंतिम तिथि से 5 दिन तक)	100.00	—
	4 थे दिन से 10 दिन तक	500.00	—
10.	डुप्लीकेट अंकसूची	500.00	—
11.	प्रोविजन सर्टिफिकेट	500.00	—
12.	(1) पुनर्मूल्यांकन शुल्क प्रति प्रश्न पत्र (अधिकतम दो प्रश्न -पत्र)	400.00	—
	(2) पुनर्मूल्यांकन के पश्चात उ.पु. की छायाप्रति	(प्रति उ.पु.) 400.00	—
	(3) पुनः पुनर्मूल्यांकन हेतु परीक्षा शुल्क	(प्रति उ.पु.) 500.00	—
13.	पुनर्गणना शुल्क प्रति प्रश्न पत्र	125.00	—

(E) शुल्क संबंधी महत्वपूर्ण नियम

1. पी.एच.डी. की उपाधि के लिये जो शोध छात्र इस महाविद्यालय में अनुसंधान कार्य करेंगे उनको नियमानुसार सभी शुल्क आदि नियमित विद्यार्थियों की भांति देने होंगे।
 2. प्रत्येक विद्यार्थी के लिए नवम्बर-दिसम्बर मास में स्वशासी-परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है।
 3. उपर्युक्त सभी शुल्क तथा अन्य धन राशियाँ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार है। भविष्य में जो निर्णय अथवा नियम छ.ग. शासन द्वारा लागू किया जाएगा प्रत्येक विद्यार्थी के लिये वैधानिक रूप से मान्य होगा। इस संबंध में किसी प्राकर की आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।
 4. सभी छात्र-छात्राओं के लिए प्रवेश शुल्क तथा महाविद्यालय (तथा छात्रावास) के अन्य शुल्क को जमा करना अनिवार्य होगा। सत्र के बीच में महाविद्यालय छोड़ने पर शुल्क की वापसी नहीं होगी।
 5. विद्यार्थी को चाहिए कि वे शुल्क जमा करने के प्रमाण स्वरूप सभी रसीदें संभाल कर रखें।
 6. यदि विद्यार्थी बिना अनुमति के कक्षा में एक माह या उससे अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है तो बगैर सूचना दिये उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जा सकेगा। ऐसा होने पर यदि वह पुनः प्रवेश लेता है तो नियमानुसार उसे पुनः शुल्क जमा करना होगा।
- (1) पुनः प्रवेश शुल्क 10.00 रुपये
- (2) छात्रावास अर्धदण्ड प्रतिदिन 12.00 रुपये
- छात्र/छात्रा द्वारा पुनः प्रवेश हेतु आवेदन करने पर प्राचार्य की स्वीकृति पश्चात् निर्धारित दण्ड/शुल्क जमा करने के उपरान्त पुनः प्रवेश दिया जा सकेगा। छात्र के स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने के बाद पुनः प्रवेश या परीक्षा में सम्मिलित होने की दशा में पंजीयन शुल्क रु. 30/- देना आवश्यक होगा।

(F) शुल्क आदि संबंधी रियायतें

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्य नियमों के अनुसार विद्यार्थियों को शुल्क आदि से निम्नलिखित छूट प्रदान की गई है।

1. कृषकों को सुविधा - (खेतिहार श्रमिक अथवा खेतिहार कारीगर)

- 1.1 निम्नलिखित श्रेणी वाले कृषकों के पुत्र/पुत्री तथा पत्नी को अध्यापन शुल्क में एक तिहाई तक छूट दी जा सकती है उन्हें शेष दो तिहाई अध्यापन शुल्क देना होगा।
- 1.11 कोई कृषक जो स्वयं खेतिहार हो अथवा अपने परिवार का पालन खेती के द्वारा ही करता हो और छ.ग. का मूल निवासी हो तथा 300 रूपयों से अधिक की मालगुजारी न देता हो अथवा अपने मालिक को इससे अधिक भाड़ा न देता हो। यह मालगुजारी रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और बिलासपुर जिलों में 200 रु. में अधिक न होगा।
- 1.12 उपर्युक्त सुविधा प्राप्त करने के लिये प्रार्थी को प्राचार्य के माध्यम से जिलाध्यक्ष को आवेदन देना होगा जो महाविद्यालय के कार्यालय में 31 अगस्त तक निम्नलिखित प्रमाण पत्रों आदि के साथ प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए।
 - (i) विद्यार्थी के पिता की खेती द्वारा आमदनी का पटवारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र।
 - (ii) महाविद्यालय के कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र में भरकर प्रमाणित किया हुआ तहसील द्वारा प्रमाण पत्र
 - (iii) 31 अगस्त के पश्चात् प्रस्तुत किये जाने वाले इस प्रकार के प्रार्थना पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और जो विद्यार्थी पिछले वर्ष इस प्रकार की सुविधा पा चुके हों उनको प्रतिवर्ष नये सिरे से प्रार्थना पत्र देना होगा।

2. भाईयों/ बहनों को दी जाने वाली सुविधा -

- 2.1 यदि दो या अधिक भाई/बहन इस महाविद्यालय में एक ही सत्र में अध्ययन करते हैं तथा नियमित विद्यार्थी हों तो उनमें से सबसे बड़े को सम्पूर्ण शुल्क और शेष को आधा शुल्क देना होगा। इस सुविधा को प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को चाहिए कि वे जितनी जल्दी हो सके इसके लिए प्रार्थना पत्र कार्यालय में जमा कर दें और आवश्यक प्रमाण पत्र आदि किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित करके संलग्न कर दें।

3. अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को सुविधा -

- 3.1. अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को अध्यापन शुल्क नहीं देना होगा। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यक प्रमाण -पत्रों सहित किसी राजपत्रित अथवा तहसील के राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया हो कि प्रार्थी अनुसूचित जाति अथवा जनजाति वर्ग का है जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है। शुल्क संबंधित सुविधाएं विद्यार्थी के अच्छे चाल चलन तथा संतोषजनक प्रगति पर आधारित है। यदि विद्यार्थी का चाल चलन अच्छा नहीं होगा या प्रगति संतोषजनक नहीं होगी तो शुल्क सुविधा वापस ले ली जायेगी।

4. छत्तीसगढ़ शासकीय सेवकों को सुविधा -

- 4.1 बी.एस.सी. (स्नातक) तक समस्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के सेवारत/सेवानिवृत्त/मृत छ.ग. शासकीय सेवकों के बच्चों का शिक्षण शुल्क माफ होगा।
- 4.11 यह सुविधा प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने पिता के कार्यालय के विभागीय प्रमुख से एक प्रमाण पत्र प्रवेश फीस देते समय प्रस्तुत करना होगा।
- 4.12 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होने पर इस सुविधा से वंचित हो जावेगा। आगामी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर अगली कक्षा में यह सुविधा उसे फिर मिल जावेगी।
- 4.13 यह सुविधा अच्छे चाल चलन तथा संतोषजनक प्रगति पर निर्भर है। यदि विद्यार्थी हड़ताल/विध्वंसक कार्य/रेगिंग इत्यादि में संलिप्त हो तो बगैर सूचना दिये ही यह सुविधा वापस ले ली जायेगी।
- 4.14 छात्राओं को एम.एस.सी. तक अध्यापन शुल्क एवं विज्ञान शुल्क देय नहीं होगा।

5. अनुशासन

(A) परिचय पत्र

महाविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय में उपस्थिति के दौरान परिचय पत्र साथ रखना अनिवार्य है। महाविद्यालय में होने वाले सभी प्रकार के शैक्षणिक एवं शैक्षणोत्तर गतिविधियों के समय यह परिचय पत्र विद्यार्थी के पास होना चाहिये। परिचय पत्र के पीछे छपी सूचनाओं का पालन करना आवश्यक है। जो विद्यार्थी परिचय पत्र विहीन पाये जायेंगे उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(B) कक्षाओं में उपस्थिति

- (1) वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अपनी कक्षाओं में प्राप्त करनी होगी अन्यथा उन्हें परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी। 75 प्रतिशत उपस्थिति एन.सी.सी. तथा एन.एस.एस. के लिए भी आवश्यक है। वि.वि. कार्य परिषद ने विद्या परिषद द्वारा अपनी बैठक में की गई निम्नलिखित संस्तुतियाँ स्वीकृत कर निर्णय लिया है कि अध्यादेश की कंडिका 13 के अंतिम पैरा के बदले निम्नानुसार पैरा रखा जाय-

Provided, also students of College representing in College or University in the recognised tournaments and extracurricular activities should be treated as present in Classes during period of journey and participation in the tournament & extracurricular activities and should be given attendance of all classes, theory and practical, held during this period.

उपरोक्तानुसार प्रभारी प्राध्यापक से संस्तुति प्राप्त कर कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा विद्यार्थी उपस्थिति प्राप्ति के हकदार नहीं होंगे।

- (2) जो विद्यार्थी किसी कारण से छुट्टी लेना चाहते हों अपना आवेदन समय से पूर्व प्रस्तुत करें जो उनके अभिभावक के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये। जो विद्यार्थी बिना अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(C) छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए आचरण -संहिता

सामान्य नियम -

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

- विद्यार्थी महाविद्यालय में शालीन वेशभूषा में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए।
- प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्योत्तर गतिविधियों में भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
- महाविद्यालय परिसर में वह शालीन रहेगा, अभद्र व्यवहार/असंसदी भाषा का प्रयोग/गाली-गलौच/मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग/प्रदर्शन नहीं करेगा।
- प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों से नम्रतापूर्वक व्यवहार/ आचरण करेगा।
- महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
- महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वदा वर्जित करेगा।
- महाविद्यालय में झड़-उधर थूकना, दीवारों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी के असामाजिक तथा

अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कटोर कार्यवाही की जायेगी।

08. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन/हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आपको दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों/कार्यकर्ताओं/समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
09. महाविद्यालय में कक्षाओं में मोबाईल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

अध्ययन संबंधी नियम -

01. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानीपूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ सुथरा रखेगा।
02. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से नहीं लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
03. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिए व शिक्षकों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
04. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, फनीचर, इलेक्ट्रिक फीटिंग आदि को तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जाएगा।

परीक्षा सम्बन्धी नियम -

01. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं एवं आन्तरिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
02. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
03. परीक्षा में या उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जाएगा।

(D) महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र

01. यदि छात्र किसी अनैतिक गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
02. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक के कारावास की सजा या पांच हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
03. यदि विद्यार्थी समय-सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा।
04. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र या आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा। महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। यह हस्ताक्षरयथा संभव प्रवेश समिति के सम्मुख किया जाना चाहिए।
05. स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने के पश्चात् (जब विद्यार्थी महाविद्यालय छोड़ रहा होगा) अमानती राशि उसे वापस कर दी जायेगी। इस निधि की वापसी के समय विद्यार्थी को संबंधित रसीद प्रस्तुत करनी होगी। यदि छात्रावास की अमानती राशि एक वर्ष तक नहीं ली जायेगी तो वह उसके पश्चात् राजसात समझी जायेगी।

06. उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अधीन इस विवरण पत्रिका के किसी भी नियम/उपनियम अथवा किसी भी अधिनियम में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को है। प्राचार्य द्वारा विज्ञापित तथा प्रसारित सभी आदेश और निर्देश विद्यार्थियों पर समान रूप से अनिवार्यतः लागू होंगे।

(E) रैगिंग पर पूर्ण प्रतिबंध

महाविद्यालय परिसर एवं छात्रावास में रैगिंग जैसे घृणित एवं अमानवीय कार्य पर पूर्ण प्रतिबंध है। रैगिंग में लिप्त पाये जाने वाले विद्यार्थियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। इसके अंतर्गत अपराधिक प्रकरण में गिरफ्तारी/जुर्माना (या दोनों) तथा महाविद्यालय और छात्रावास से निष्कासन एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर रोग लगाई जायेगी।

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्र. 27 सन् 2001) के महत्वपूर्ण बिन्दु छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना का प्रतिषेध

- रैगिंग एक दंडनीय अपराध है।
- रैगिंग मानवीय मूल्यों का हनन है।
- रैगिंग में निम्नलिखित का समावेश है :-
 - मजाकपूर्ण व्यवहार
 - किसी बात के लिये बाध्य करना
 - व्यक्तित्व का अपमान या उपहास
 - दोषपूर्ण अवरोध
 - दोषपूर्ण परिरोध
 - क्षति या आपराधिक बल का प्रयोग
 - आपराधिक धमकी
- विद्यार्थी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से रैगिंग में भाग नहीं लेगा।

रैगिंग के लिए दण्ड

5 वर्ष का कारावास, रु. 5000 जुर्माना अथवा एक साथ दोनों प्रकार के दण्ड

(F) शिकायत पेटी की व्यवस्था

महाविद्यालय के प्राचार्य कक्ष के सामने शिकायत पेटी लगाई गई है। इसमें निम्नलिखित विषयों से संबंधित, वास्तविक शिकायत कोई भी विद्यार्थी अपने नाम से अथवा बिना नाम से डाल सकता है।

1. महाविद्यालय अथवा छात्रावास में रैगिंग गतिविधि/अशांति उत्पन्न करने वाला कोई कार्य अनुशासनहीनता, पीने के पानी एवं सफाई विषयक।
2. कक्षाओं में फर्नीचर, विद्युत उपकरण, ब्लैक बोर्ड आदि विषयक।
3. संरक्षित निधि, छात्रवृत्ति अन्य प्रमाण पत्र विषयक।
4. किसी कक्षा/वर्ग में अध्यापन नहीं होने विषयक एवं परीक्षा प्रकोष्ठ की कार्य प्रणाली विषयक।
5. महाविद्यालय में कार्यालय की कार्य प्रणाली विषयक ऐसे सुझाव भी इस पेटी में डाले जा सकते हैं जो महाविद्यालय की कार्यप्रणाली में सकारात्मक सुधार लाये।

6. छात्रहित योजनाएं - (छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति, पुरस्कार, मेडल, बीमा आदि)

(1) छात्र सुरक्षा बीमा योजना-

छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर की अधिसूचना क्र. एफ-24-7/2005, रायपुर दिनांक 01.09.2005 के अनुसार महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों छात्र सुरक्षा बीमा योजना का प्रावधान है। इस संबंध में कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

(2) छात्रवृत्ति योजना-

छात्रवृत्ति संचालनालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार देय होगी। अन्य विवरण छात्रवृत्ति लिपिक से प्राप्त किया जा सकता है।

(3) महिला सेवा एवं कल्याण समिति की प्रोत्साहन पुरस्कार योजना-

महिला सेवा एवं कल्याण समिति, राजभवन रायपुर द्वारा छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत महाविद्यालय को राशि रु. 15 लाख प्रदान की गई है। इसके ब्याज राशि से प्रतिवर्ष गणित और जैव समूह के बी.एस.सी. तृतीय वर्ष और सभी विषयों के एम.एस.सी. अंतिम (अर्थात् तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर) में अध्ययनरत छात्राओं को समान रूप से प्रदान की जावेगी। यह प्रोत्साहन राशि कुल 10 छात्राओं को उनके पिछले वर्ष प्राप्त सर्वोच्च अंक के आधार पर मिलेगी जो लगभग रु. 11000/- होती है।

(4) मेजर गोरे स्मृति पुरस्कार-

मेजर गोरे छात्रावास के सर्वश्रेष्ठ छात्रावासी को प्रतिवर्ष 501/- का मेजर गोरे स्मृति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ छात्रावासी का चयन छात्रावास अधीक्षक की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा किया जाता है।

(5) विकिता अग्रवाल स्मृति पुरस्कार-

एम.एस.सी. I/II सेमेस्टर रसायन शास्त्र में प्रवेश प्राप्त एवं बी.एस.सी. में सर्वाधिक अंक प्राप्त विद्यार्थी को समिति के निर्णयानुसार प्रदान किया जाता है।

(6) स्वर्ण मंडित पदक-

महाविद्यालय के विभिन्न विषयों में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्र/छात्राओं एवं एन.एस.एस., एन.सी.सी. रेडक्रास एवं खेलकूद के सर्वश्रेष्ठ छात्र/छात्रा को महाविद्यालय के प्राध्यापकों द्वारा अपने स्नेही जनों की स्मृति में स्वर्ण पदक प्रदान किये जाते हैं।

(7) छात्र सहायता निधि-

महाविद्यालय में अनुदान आयोग के निर्देशानुसार तथा नियमांतर्गत विधिक सहायता की स्थापना की गई है, इस निधि से गरीब जरूरतमंद छात्रों को फीस एवं पुस्तकादि क्रय करने के लिये सहायता प्रदान की जाती है। सहायता प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 1 दिसम्बर है।

8. उपलब्ध सुविधाएं

(A) छात्रावास

छात्रावास विवरण:

महाविद्यालय में छात्रों के लिये कुल 3 छात्रावास जिनमें प्रत्येक की क्षमता 50 छात्रों की है। इसी प्रकार छात्राओं में स्नातकोत्तर एवं स्नातक छात्राओं के लिए एक-एक छात्रावास है, जिसकी क्षमता क्रमशः 80 एवं 30 सीट है।

1. छात्रावास में प्रवेश प्राप्त करने के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में भरकर छात्रावास मैनेजर/अधीक्षक के पास प्रस्तुत करना चाहिए।

2. छात्रावास में प्रवेश केवल एक ही शैक्षणिक सत्र के लिए दिया जाता है। अतएव प्रत्येक सत्र के आरंभ में नवीन आवेदन करना चाहिए।
3. छात्रावास में प्रवेश प्राप्त करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को मेस प्रतिभूमित राशि रु. 4000/- अग्रिम छात्रावास के अधीक्षक (वार्डन) के पास जमा कराना होगा। अन्य देय शुल्क महाविद्यालय के लेखापाल के पास जमा करना होगा। इसमें विद्युत शुल्क की राशि भी शामिल होगी।
4. छात्रावास के प्रिफेक्ट को कमरे का किराया नहीं देना होगा किन्तु यह सुविधा केवल एक सत्र के लिए ही प्रिफेक्ट को प्राप्त होगी।

(2) छात्रावास संबंधी नियम -

1. छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी बिजली के बल्ब/ट्यूब लाइट स्वयं लायेंगे और जितनी भी बिजली व्यय होगी सम्मिलित रूप से पूरा का पूरा वे ही वहन करेंगे।
2. प्रत्येक विद्यार्थी को जो छात्रावास में रहता हो छात्रावास के भोजन में सम्मिलित होना पड़ेगा। भोजनालय में केवल नियमित भोजन तैयार किया जाएगा। व्यक्तिगत भोजन की आज्ञा नहीं मिलेगी।
3. मास की प्रत्येक 11 वीं तारीख तक भोजनालय का व्यय अधीक्षक के पास विद्यार्थी द्वारा जमा करा दिया जायेगा।
4. अधीक्षक की आज्ञा के बिना अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
5. अधीक्षक की अनुमति के बिना कोई छात्र अपने कमरे में एक दिन के लिए भी अपने किसी मेहमान को नहीं रोक सकता।
6. बल्ब और पंखों के अतिरिक्त किसी भी बिजली के उपकरण का प्रयोग वर्जित है। पकड़े जाने पर आर्थिक दंड अथवा छात्रावास से निष्कासन या दोनों किया जा सकता है।
7. बरामदों एवं शौचालयों में लगी ट्यूब अथवा बल्ब की चोरी की स्थिति में सभी छात्रावासियों से उसकी कीमत समान अनुपात में वसूली जावेगी।
8. छात्रावास में आने वाली समस्त मैगजीन एवं समाचार पत्र, पुस्तकालय प्रभारी छात्र की देकरेख में रखा जायेगा।
9. छात्रावास के किसी कर्मचारी को किसी भी छात्रावासी द्वारा बाहर भेजना दंडनीय है। छात्रावास के बाहर का कार्य छात्रावासियों को स्वयं करना होगा।
10. रात्रि 9.00 बजे के बाद किसी भी छात्र को छात्रावास के बाहर जाने की अनुमति नहीं है। आवश्यकतानुसार अधीक्षक की अनुमति प्राप्त कर बाहर जाया जा सकेगा।
11. विद्युत बिल के भुगतान हेतु प्रत्येक छात्रावासी एक मुश्त 3000/- रुपये प्रवेश के समय अन्य शुल्क के साथ लेखापाल के पास जमा करेंगे। इसी जमा राशि से छात्रावास को प्रत्येक माह का विद्युत शुल्क महाविद्यालय द्वारा देय होगा। जमा राशि से अधिक विद्युत बिल हो जाने पर शेष राशि छात्रावासी को जमा करनी होगी।
12. छात्रावास में टूट फूट इत्यादि का कुल व्यय प्रत्येक छात्रावासी से समान अर्थदंड के रूप में वसूली जायेगा।
13. मेस परतिभूति राशि (रु. 4000/-) छात्र को छात्रावास छोड़ते समय सभी ड्यूस काट कर वापस कर दिया जावेगा।

(B) ग्रंथालय

ग्रंथालय किसी भी संस्था का सीखने का स्रोत (Learning Resource) है।

महाविद्यालयीन ग्रंथालय की स्थापना उसके स्थापनाकाल 1949 में ही हुई प्रारंभिक वर्ष 1948 में 401 पुस्तकों के ग्रंथालय की शुरुआत हुई जो आज दिनांक तक पहुँच चुकी थी। टेकट बुक की संख्या पुस्तकालय के प्रथम अध्यक्ष श्री

आर.एस. नय्यर थे। बुक बैंक योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति व जनजाति छात्रों को परीक्षा अवधि तक के लिए पुस्तकें अध्ययन हेतु निर्गमित की जाती है। वाचनालय कक्ष पृथक से संयोजित है। जिसमें छात्र-छात्राओं के अध्ययन के लिए पत्र-पत्रिकाएँ तथा आवश्यक पाठ्य सामग्री अध्ययन हेतु सुविधा प्रदाय की जाती है।

महाविद्यालयीन ग्रंथालय दो भागों में विभक्त है 1. सेन्ट्रल लाईब्रेरी मुख्य ग्रंथालय 2. विभागीय ग्रंथालय (अ) बायोटेक्नोलॉजी ग्रंथालय (ब) बायोकेमेस्ट्री ग्रंथालय (स) वनस्पति शास्त्र ग्रंथालय (द) भू-गर्भ शास्त्र ग्रंथालय (ई) रसायन शास्त्र ग्रंथालय (इ) जन्तु विज्ञान ग्रंथालय (ज) सैन्य विज्ञान ग्रंथालय (क) भौतिकी शास्त्र ग्रंथालय (ख) माइक्रोबायोलॉजी ग्रंथालय (ग) गणित ग्रंथालय (घ) हॉस्टल नंबर 02 ग्रंथालय (छ) हॉस्टल नंबर 03 ग्रंथालय (ज) महिला हॉस्टल ग्रंथालय (ट) कम्प्यूटर साईंस ग्रंथालय (ठ) इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रंथालय (ड) अंग्रेजी ग्रंथालय (ढ) हिन्दी ग्रंथालय।

सेन्ट्रल ग्रंथालय में उपलब्ध सुविधाएं - (1) फोटोकॉपी सुविधा (2) त्वरित रिफरेंस सेन्टर सुविधा (3) संदर्भ सेवा सुविधा (4) इंटरनेट सुविधा (5) ग्रंथालय इंटर लोन सुविधा (6) डिजिटल लाईब्रेरी सुविधा (7) वार्षिक पत्रिका अध्ययन कक्ष सुविधा (8) शोधार्थी कक्ष सुविधा (9) न्यू बुक डिस्पले (प्रदर्शन) कक्ष (10) वाचनालय सुविधा (11) बुक बैंक (12) कम्प्यूटर (13) Audio visual resources (14) Publication and Research support Serives (15) Information display and notification services (16) Bibiographic Compilion (17) ILL/Resource Sharing (18) Reprographic Facilies (19) User Orientaton (2) OPA C/ Indexing Service (21) Audio Visual Resources. (22) बी.पी.एल. योजना (23) अनुसूचित जाति योजना (24) अनुसूचित जनजाति योजना।

बी.पी.एल. योजना - इस योजना में बी.एस.सी. प्रथम वर्ष बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष बी.एस.सी., तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों को आय प्रमाण के आधार पर पुस्तकें निर्गमित की जाती है। इस योजना का लाभ महाविद्यालय में अध्ययनरत कोई भी विद्यार्थी जिसके पिता की वार्षिक आय शासन द्वारा घोषित आय से कम हो इस योजना का लाभ उसे प्राप्त हो सकता है।

बुक बैंक अनुसूचित जाति, जनजाति एवं आदिवासी योजना - इस योजना में बी.एस.सी. प्रथम वर्ष, बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष, बी.एस.सी. तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पुस्तकें निर्गमित की जाती है। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति जनजाति एवं आदिवासी विद्यार्थियों को दिया जाता है। इस ग्रंथालय द्वारा एक स्वस्थ परम्परा का निर्वहन किया जा रहा है।

डिजिटल ग्रंथालय - महाविद्यालय में डिजिटल ग्रंथालय की स्थापना 2013-2014 में हुई, एक सर्वर सहित पाँच कम्प्यूटर जो वाई-फाई से जुड़े हुए हैं, ई -ग्रंथालय में उपलब्ध है। प्रथम पत्र प्रॉस्पेक्ट्स डिजिटल फार्म में सर्वर पर उपलब्ध है। जिसे छात्र डिजिटल ग्रंथालय से प्राप्त कर सकते हैं। विडियो कैसेट 200, सी.डी.1, फ्लॉपी - 1, डी.व्ही.डी. 108, आडियो कैसेट 08, उपलब्ध है। महाविद्यालयीन अधिकारियों के देश की विभिन्न शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध आलेखों का बाईन्ड स्वरूप भी उपलब्ध है।

वाचनालय - वाचनालय में विभिन्न पाठ्य सामग्री का उपयोग छात्र-छात्राएँ आई कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं।

लाईब्रेरी वेबसाइट - 2014 में उद्घाटित हुई वेबसाइट उपलब्ध है, जिसमें ग्रंथालय में उपलब्ध सुविधाएं विस्तृत चित्रमय जानकारी उपलब्ध है। इस वेबसाइट के माध्यम से छात्र देश की किसी भी स्थान में बैठकर ग्रंथालय की अद्यतन की जानकारी हासिल कर सकते हैं।

(C) क्रीड़ा विभाग

यह महाविद्यालय प्रदेश का सबसे बड़ा चिन्हित महाविद्यालय है। अतः रायपुर जिले की समस्त खेलकूद गतिविधियाँ इस महाविद्यालय से संचालित होती हैं। इस महाविद्यालय में क्रिकेट ग्राउण्ड तथा अन्य खेलों के लिए 5 एकड़ भूमि सुरक्षित रखी गई है। इस महाविद्यालय में क्रिकेट, फुटबाल, हॉकी, हैण्ड बाल, लान टेनिस, बॉस्केटबाल, व्हालीबाल, नेटबाल, बैटमिंटन, खो-खो एवं कबड्डी के लिए अलग-अलग मैदान हैं। बैडमिंटन के लिये इंडोर हॉल तथा टेबल टेनिस, कैरम, शतरंज के लिए भी हॉल हैं, जहाँ खिलाड़ी वर्ष भर खेलते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इसे चरितार्थ करने के लिए इस महाविद्यालय में विज्ञान के विभिन्न विषयों की पढ़ाई के अलावा खेलों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इसके अलावा सुबह शाम प्रतियोगिता के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाता है।

खिलाड़ियों को महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त सुविधाएं -

महाविद्यालय की क्रीड़ा गतिविधियों में भाग लेने वाले छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन के केलेण्डर अनुसार (16) खेल विधाओं तथा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के तहत आयोजित होने वाली (16) विधाओं अर्थात् कुल 32 खेलों का प्रशिक्षण सतत दिया जाता है। अंतर्महाविद्यालय प्रतियोगिताओं हेतु चयनित होने पर टी.ए.+ डी.ए. एवं खिलाड़ियों को खेल गणवेश भी महाविद्यालय द्वारा प्रदाय किया जाता है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित होने पर अथवा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय दल में चयनित होने पर खिलाड़ियों को विशेष रूप से पुरस्कृत किया जाता है। वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को प्रमाण-पत्र, राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व खिलाड़ी को मेडल, पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी को ट्रेक सूट, मेडल, पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्राचार्य एवं जनभागीदारी अध्यक्ष द्वारा प्रदान किया जाता है।

योग: कर्मसु कौशलम्

अर्थात्, कर्म में कुशलता ही योग है। महाविद्यालय के इस ध्येय वाक्य को क्रीड़ा विभाग चरितार्थ करता है।

(D) चिकित्सालय

महाविद्यालय का अपना चिकित्सालय है, जो ओ.पी.डी. के रूप में कार्य करता है। यहाँ शासन द्वारा चिकित्सक की पद स्थापना की गई है।

(E) डाकघर

महाविद्यालय परिसर में उप-डाकघर की सुविधा उपलब्ध है।

(F) केन्टीन

विद्यार्थियों तथा शिक्षकों एवं कर्मचारियों की क्षमता प्रतिदिन संपूर्ण समय में बनी रहने के लिए रिफ्रेशमेन्ट आवश्यकता होती है। इसे ध्यान में रखते हुए बाजार भाव से कम दरों पर नाश्ता, चाय आदि को केन्टीन द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

(G) सायकल स्टैंड

महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं की सुविधा के लिए सायकल स्टैंड की सुविधा उपलब्ध है।

9. विभिन्न क्रिया-कलाप

(A) सांस्कृतिक गतिविधियाँ

सांस्कृतिक गतिविधियों के अंतर्गत युवा उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वार्षिक स्नेह सम्मेलन, पुरस्कार वितरण समारोह आदि आयोजित किये जाते हैं।

(B) नेशनल कैडेट कोर (एन.सी.सी.)

सीनियर डिवीजन एन.सी.सी. की तीन इकाईयां संचालित है-

(1) पैदल सेना (Infantry) (2) सिग्नल्स (Signals) (3) वायु स्कंध (Airwing)

विद्यार्थियों के लिए उपर्युक्त सभी इकाईयों में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है। स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों के लिये एन.सी.सी. का प्रशिक्षण अनिवार्य है परन्तु चिकित्सा प्रमंडल द्वारा एन.सी.सी. प्रशिक्षण हेतु अयोग्य घोषित किये जाने वाले विद्यार्थी को कुलपति पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा प्रशिक्षण से मुक्त भी किया जा सकता है।

(C) राष्ट्रीय सेवा योजना (National Service Scheme)

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) की एक इकाई है जिसमें 100 छात्र-छात्राओं को सम्मिलित किया जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य युवाओं में अपने आसपास चल रही सामाजिक, प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय समस्याओं का निराकरण स्वयं सेवक बनकर कर सके। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 100 स्वयंसेवकों को पंजीकृत किया जाता है। प्रथम वर्ष छात्र-छात्राओं के लिए एन.एस.एस. पंजीकरण अनिवार्य है। इच्छुक छात्र-छात्राएं कार्यक्रम अधिकारी से संपर्क कर प्रवेश पा सकते हैं।

(D) रेडक्रास सोसायटी

महाविद्यालय में सन् 2006 से यूथ रेडक्रास सोसायटी का गठन किया गया है जिसके अंतर्गत प्रतिमाह स्वास्थ्य गतिविधियाँ एवं युवा गतिविधियाँ संचालित होती है। रक्तदान शिविर, रक्त परीक्षण शिविर, पोलियो ड्राप पिलाना, स्वास्थ्य शिविर, स्वास्थ्य व्याख्यान आदि के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता लायी जाती है। रेड रिबन क्लब का गठन भी किया जाता है जिसमें एड्स दिवस, एड्स रैली, एड्स व्याख्यान आदि आयोजित किये जाते हैं। इसकी प्रभारी डॉ. इन्दु मण्डरिक सहायक प्राध्यापक प्राणीशास्त्र हैं।

(E) विज्ञान क्लब

यद्यपि यह विज्ञान महाविद्यालय है तथा केवल विज्ञान विषयों का ही यहाँ पर अध्यापन कराया जाता है फिर भी विद्यार्थियों की मौलिकता को सामने लाने के लिए विज्ञान क्लब के रूप में एक मंच उपलब्ध है। मॉडल, पोस्टर, लेखन, प्रश्न मंच आदि क्रिया-कलापों के लिए विज्ञान क्लब प्रभारी से संपर्क किया जा सकता है।

(F) कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ

The primary highlight of the Govt. Nagarjuna P.G. College of Science is its

career Counseling and placement to Students. The cell has infused hope and confidence in the minds of students. The cell functions under the partnership of principals.

In then last year the cell organised various career counseling seminars. The cell also lounched career awareness programs by way of such seminars.

The most significant area of operation was placement./ Campus interview were organized for various organization. The candidates joined as Execuive, Marketing and Operation, Sales Executive chemist and communication Executive.

(G) सामान्य ज्ञान क्लब

सत्र 2007-2008 से शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय रायपुर में अकादमिक वातावरण में विद्यार्थियों के विविध आयामी उन्नयन एवं शैक्षणोत्तर विकास की दृष्टि से प्रतियोगी परीक्षाओं पर केन्द्रित सामान्य ज्ञान आधारित परीक्षाएं आयोजित की जाती है।

इस वर्ष इसके क्रियान्वयन हेतु महाविद्यालय के प्राध्यापकों की एक समिति गठित की गई है। जिसका नाम सामान्य ज्ञान क्लब रखा गया एवं इसके सदस्य हैं -

डॉ. प्रवीण देवांगन

डॉ. प्रवीण कडवे

डॉ. श्रीमती सुनीता पात्रा

इस तारतम्य में उपरोक्त समिति द्वारा समय समय पर सामान्य ज्ञान परीक्षा आयोजित की जाती है. स्नातकोत्तर विद्यार्थियों हेतु नेट की परीक्षा पर आधारित सामान्य विज्ञान से संबंधित परीक्षा आयोजित की जाती है। इसी के साथ कम्प्यूटर पर आधारित सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान दिवस पर सामान्य विज्ञान पर आधारित परीक्षाएं आयोजित की जाती है।

इस परीक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त छात्र-छात्राओं को वार्षिकोत्सव के अवसर पर सामान्य ज्ञान मानक पुस्तकों से पुरस्कृत किया जाता है।

10. महाविद्यालय परिवार

शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाला स्वशासी शासकीय महाविद्यालय सन् 1985 में यह आदर्श विज्ञान महाविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित हुआ तथा सन् 1988 से इसे स्वशासी का दर्जा प्राप्त हुआ। महाविद्यालय में अध्ययन, अध्यापन तथा सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए जन भागीदारी समिति राज्य शासन द्वारा गठित की जाती है। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गाईड लाईन पर स्वशासी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा उसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शासी निकाय (Governing Body) का गठन किया जाता है। पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने तथा गुणवत्ता परक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रावधानानुसार विद्या परिषद् का गठन किया जाता है।

क्र.	स्वीकृत पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	रिमार्क
1.	प्राचार्य	1	1	-	-
2.	प्राध्यापक	11	0	11	-
3.	सहायक प्राध्यापक	77	70	7	-
4.	ग्रंथपाल	1	-	1	-
5.	क्रीडाधिकारी	1	-	1	-
6.	रजिस्ट्रार	1	1	0	-
7.	सहायक चिकित्सक	1	0	1	-
8.	तृतीय श्रेणी	40	28	12	-
9.	चतुर्थ श्रेणी	112	32	80	-
	योग	244	131	113	-